घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 257- शनिवार 18- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

बद्रीनाथ मंदिर दान मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई...पूर्व अधिकारी गिरफ्तार,जांच तेज

नई दिल्ली,17 जुलाई 2026। बद्रीनाथ मंदिर के दान में कथित गड़बड़ी के मामले में एसआईटी ने मंदिर के पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया है। उनसे करीब चार घंटे पूछताछ की गई,जिसके बाद कार्रवाई की गई। उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज बना अहम सबूत एसआईटी के अनुसार, 22 जून की सीसीटीवी फुटेज में राजेंद्र चौहान की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दीं। इसके बाद 25 और 29 जून की रिकॉर्डिंग भी जांची गई। पुलिस ने मंदिर के सीसीटीवी सिस्टम का डीवीआर भी अपने कब्जे में लेकर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। प्रमोद नौटियाल मुख्य आरोपी इस मामले में बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में उन्हें गिनती वाले कमरे में कई बार आते-जाते देखा गया। उन पर नकदी, सोने-चांदी के सिक्के, शालीग्राम पत्थर और दान के लिफाफों को छिपाने या चोरी करने का आरोप है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सबरीमाला मंदिर के घी प्रसाद मामले की होगी दोबारा जांच,हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली,17 जुलाई 2026। केरल सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि सबरीमाला मंदिर के प्रसाद 'आदिया सिष्टम घी' की बिक्री में कथित वित्तीय गड़बड़ी की दोबारा जांच कराई जाएगी। इसके लिए सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने दिए निर्देश हाईकोर्ट की पीठ ने जांच अधिकारी को लेखा परीक्षा विभाग, मुख्य सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट और सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी तय करने को कहा गया है कि क्या त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने वीएसीबी के एसपी एम.जे. सोजन को 23 सितंबर तक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वीएसीबी की रिपोर्ट पर असंतोष जताया था और कहा था कि इससे बोर्ड को हुए नुकसान की गंभीरता को कम करके दिखाया गया है। यह मामला 17 नवंबर से 27 दिसंबर 2025 के बीच सबरीमाला मंदिर में घी प्रसाद की बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि 16,628 घी के पैकेट बेचने से मिली रकम देवस्वम बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गई, जिससे बोर्ड को 17 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए थे।

पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश ढेर,दो पुलिसकर्मी घायल...

उत्तर प्रदेश,17 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक अत्यंत साहसी और महत्वपूर्ण पुलिस मुठभेड़ हुई। नीम खेड़िया गांव के पास हुई इस मुठभेड़ में इटावा पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें दो कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया है। यह मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब इटावा एसओजी की टीम एक लूट की घटना के आरोपियों का पीछा कर रही थी। बदमाशों ने स्वयं को पुलिस से घिरता देख उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधी ढेर हो गए। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान हुई गोलीबारी में इटावा एसओजी के दो बहादुर पुलिसकर्मी, पुष्पेंद्र और डेविड, गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल जवानों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आदित्य लांगेह सहित जिले के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और खेतों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई अन्य साथी तो नहीं छिपा है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह केवल पुलिस और अपराधियों के बीच की मुठभेड़ है और इससे जुड़ी बंधक बनाने जैसी कोई भी अन्य अफवाह पूरी तरह निराधार है।

ट्रंप को मारने पर 10 मिलियन डॉलर इनाम इराकी संगठन की धमकी से बढ़ा तनाव

नई दिल्ली,17 जुलाई 2026। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव अब एक अत्यंत गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। इराक के एक प्रभावशाली इस्लामी प्रतिरोध संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक विवादास्पद और चौंकाने वाला कदम उठाया है। संगठन ने राष्ट्रपति ट्रंप को 'अहंकारी' और 'आक्रामक' करार देते हुए उनके सिर पर 10 मिलियन डॉलर का भारी इनाम घोषित कर दिया है। इस घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है और सुरक्षा चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। इराकी संगठन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह कदम शहीद कमांडर हाजी कासिम सुलेमानी और हाजी अबू महदी अल-मुहंदिस की शहादत का बदला है। संगठन ने अमेरिकी प्रशासन की नैतिक गिरावट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसने भी इराकी नागरिकों का खून बहाया, उन्हें बेघर किया, उनके बच्चों को निशाना बनाया या उनके विद्वानों की हत्या की, उसे कभी सुकून से जीने नहीं दिया जाएगा। संगठन के बयान के अनुसार, जब तक अत्याचारियों के किले ढह नहीं जाते और उनके सिंहासन हिल नहीं जाते, तब तक यह प्रतिरोध जारी रहेगा। इराक की इस धमकी के पीछे की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तीव्र सैन्य टकराव है। पश्चिम एशिया के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार हो रहे हमलों और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को लेकर बढ़ती तनातनी ने शांति के सभी रास्तों को लगभग बंद कर दिया है। ईरानी अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, हालिया अमेरिकी हवाई हमलों में 35 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 300 से अधिक घायल हुए हैं।

भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू,हरियाणा में जींद से सोनीपत तक 89 किलोमीटर का रूट

यह ट्रेन दुनिया में सबसे लंबी और ताकतवर : पीएम मोदी

जींद,17 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा...'जींद-सोनीपत के बीच चलने वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और भारत की ही कंपनी ने बनाया है।' 10 कोच वाली यह ट्रेन जींद-सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया 5 से 25 रुपए के बीच रखा गया है। ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। पहले दिन यह ट्रेन सुबह 11:22 पर जींद से चली और ठीक दो घंटे बाद दोपहर 1:22 बजे सोनीपत पहुंच गई।

मोदी बोले- सफाई देखकर मन खुश हुआ : मोदी ने कहा...14 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य प्रोजेक्ट भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के,हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट हैं। विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और दो नए मेडिकल कॉलेज भी समर्पित हैं। यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर व अन्य मेडिकल प्रोफेशनल बनने के रास्ते खुलेंगे। साथियो,आज मैं जींद और पूरे हरियाणा के लोगों की एक और बात के लिए विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूं। आपने स्वच्छता के इस अभियान को जिस गंभीरता और उत्साह के साथ अपनाया है,वह वास्तव में प्रशंसनीय है। यहां के लोग नई ऊर्जा के साथ सफाई अभियान में जुटे हैं,जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। पिछले एक हफ्ते से मैं सोशल मीडिया पर लगातार यहां चल रहे सफाई अभियान की तस्वीरें और वीडियो देख रहा था। कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि 'मोदी जी, आप बार-बार जींद आइए,ताकि सफाई अभियान ऐसे ही चलता रहे। 'वह आज जींद के लोगों से कुछ मांगने आए हैं। क्या स्वच्छता और सफाई के लिए मोदी का आना ही जरूरी है? अगर जींद के लोग खुद ठान लें, तो मोदी के आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

मोदी ने कहा...जींद में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा...फिलहाल यह ट्रेन करीब 90 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, लेकिन भविष्य में इसके विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। हम लगातार शोध करते रहेंगे,ताकि इसकी लागत कम हो और इसकी दक्षता (एफिशिएंसी) बढ़ाई जा सके। दुनिया में अभी केवल तीन-चार देशों के पास ही हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की क्षमता है और वहां भी यह तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में भारत की हाइड्रोजन तकनीक और क्षमता पूरे देश के लिए गर्व की बात है। जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी क्षमता 3200 हॉर्सपावर है। इसके साथ ही यह परिचालन दूरी के लिहाज से भी दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन सेवाओं में से एक है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसे बनाया है। अब जींद में और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और कंपनियां आएंगी।

हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला पांचवां देश बना भारत : रेल मंत्री

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा...आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत ने हाइड्रोजन तकनीक के क्षेत्र में बड़ा संकल्प लिया है और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। देश अब उन पांच देशों की सूची में शामिल हो गया है,जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का संचालन हो रहा है। जींद में स्थापित हाइड्रोजन प्लांट में हाइड्रोजन से बिजली तैयार की जाती है, जिससे यह ट्रेन संचालित होती है। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे किसी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं फैलता। इसके उत्सर्जन के रूप में केवल पानी की बूंदें और जलवाष्प निकलती हैं, जिससे यह पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल तकनीक मानी जाती है।

नीट-यूजी 2026 रिजल्ट घोषित...आर्यन गुप्ता और पांशुल बंसल बने संयुक्त ऑल इंडिया टॉपर

नई दिल्ली,17 जुलाई 2026। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बहुप्रतीक्षित नीट-यूजी 2026 री-एग्जाम का परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 21 जून को आयोजित इस पुनः परीक्षा में भाग लिया था, वे अब एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एनटीए ने इस बार परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया था,जिसके अंतर्गत विभिन्न चरणों को समानांतर रूप से पूरा किया गया। परिणाम तक पहुँचने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। अपना रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर 'नीट-यूजी Re-Exam Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें। सबमिट करते ही आपका स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है। याद रहे कि परीक्षा के बाद जारी की गई फाइनल आंसर की के आधार पर ही यह रिजल्ट तैयार किया गया है।

महिला उम्मीदवारों का रहा शानदार प्रदर्शन

इस वर्ष के नीट यूजी परिणामों की सबसे उल्लेखनीय बात महिला उम्मीदवारों का दबदबा है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों में 58 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो महिला उम्मीदवारों का क्वालिफिकेशन रेट 56.8 फीसदी रहा, जबकि पुरुष उम्मीदवारों का आंकड़ा 55.1 फीसदी दर्ज किया गया। यह परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है।

टॉपर्स और अंकों का विश्लेषण : नीट-यूजी 2026 की परीक्षा में मेधावी छात्रों ने उच्च स्कोर के साथ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने संयुक्त रूप से 720 में से 715 अंक हासिल कर टॉप किया है। परीक्षा में कुल 19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा,1,492 उम्मीदवारों के अंक 650 से ज्यादा,10,160 के 600 से ज्यादा और 90,780 उम्मीदवारों ने 500 से अधिक अंक हासिल किए हैं। उल्लेखनीय है कि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंकों के साथ अपनी सफलता दर्ज की है, जिनमें से 93 फीसदी पहली बार परीक्षा में शामिल हुए थे।

राज्यों का प्रदर्शन और परीक्षा की पारदर्शिता : देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सफल उम्मीदवार सामने आए हैं,जो परीक्षा की व्यापकता को प्रमाणित करता है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 1.7 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा क्वालीफाई की है, वहीं लक्षद्वीप से 43 सफल उम्मीदवार रहे। 17 स्टेट टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 700 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एनटीए ने 25 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 13 से 15 जुलाई तक ओएमआर शीट भी प्रदर्शित की थी। 16 जुलाई को फाइनल आंसर की और रिजल्ट के साथ परीक्षा प्रक्रिया का समापन हुआ।

20वें दिन भी अनशन पर डटे सोनम वांगचुक,बोले-20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा नहीं तो भूत बनकर वापस आऊंगा

नई दिल्ली,17 जुलाई 2026। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वह नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। समर्थकों को संबोधित करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा, 'मैं बाहर से कमजोर हूं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूं। मुझे यकीन है कि आप सभी अंदर और बाहर, दोनों तरह से मजबूत हैं। हमें 20 जुलाई के लिए इस ऊर्जा की जरूरत है। मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जीवित रहूंगा। अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं हुआ, तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। '

डॉक्टरों ने जताई चिंता : डॉक्टरों के अनुसार, वांगचुक का वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी कम हो रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक भूखे रहने से अब शरीर के अंगों पर भी असर पड़ सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया है। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है।

नरवर किले से 500 साल पुरानी 3 टन की अष्टधातु की तोप चोरी

शिवपुरी,17 जुलाई 2026। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से ऐतिहासिक धरोहर की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां स्थित प्रसिद्ध नरवर किले से सिंधिया राजवंश की करीब 500 साल पुरानी अष्टधातु की तोप चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस बदमाशों ने रात के अंधेरे में किले में घुसकर करीब 3 टन वजनी तोप को क्रेन और ट्रक की मदद से उठा लिया और फरार हो गए। इस घटना के बाद किले की सुरक्षा व्यवस्था और ऐतिहासिक धरोहरों की निगरानी पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, 15 और 16 जुलाई की दरमियानी रात करीब 25 से 30 बदमाश आधुनिक हथियारों के साथ नरवर किले में दाखिल हुए। बदमाश पूरी तैयारी के साथ क्रेन, लोडिंग वाहन और अन्य मशीनें लेकर पहुंचे थे। उन्होंने किले के ओपन कचहरी परिसर में रखी गई ऐतिहासिक तोपों में से एक अष्टधातु की तोप को निशाना बनाया और उसे उठाकर अपने साथ ले गए।

मानसून सत्र 20 जुलाई से सरकार 7 बिल लाएगी

वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी,परिसीमन बिल का जिक्र नहीं

नई दिल्ली,17 जुलाई 2026। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने एजेंडा तय कर लिया है। लोकसभा में 7 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदा कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। बिलों की अस्थायी सूची में अभी किसी भी संविधान संशोधन बिल जैसे परिसीमन या नारी संशोधन का जिक्र नहीं है। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट-यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, ई20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। यह सत्र 25 दिनों तक चलेगा, कुल 19 बैठकें होंगी। दिल्ली के कर्तव्य भवन में शुक्रवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और ललन सिंह समेत कई सीनियर लीडर शामिल हुए। सात में से दो विधेयक फॉरेन कंट्रीब्यूशन और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान पुराने हैं। विदेशी चंदे से जुड़ा विधेयक 25 मार्च 2026 को और शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था।

शिक्षा से जुड़े बिल को जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया गया था। इनकम टैक्स बिल, 2026 और सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ाने वाले बिल अध्यादेशों का स्थान लेंगे। जबकि जन्म-मृत्यु, वंदे मातरम के अपमान और एमएसएमई से जुड़े तीन बिल पहली बार पेश किए जाएंगे।

गुजरात एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पांच और आरोपितों को किया गिरफ्तार

गांधीनगर,17 जुलाई 2026। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पांच और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एटीएस इस मामले में आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन्हीं आरोपितों से पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर इन पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपित गुजरात के विभिन्न जिलों के निवासी हैं। कड़ी अदालत ने पांचों आरोपितों को आठ दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एटीएस के अनुसार गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपित पहले गिरफ्तार किए गए आठ आरोपितों के संपर्क में थे और कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री का परीक्षण भी कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपितों ने अलग-अलग स्थानों पर कई बार विस्फोटकों का परीक्षण किया था। जांच एजेंसी को आरोपितों के मोबाइल फोन से बम बनाने से संबंधित पीडीएफ दस्तावेज, जिहादी साहित्य और विस्फोटक तैयार करने की जानकारी मिली है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े साहित्य का अध्ययन कर रहे थे।

एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि मामले के कथित मुख्य सूत्रधार मोहम्मद अमीन के पास से बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी। आरोप है कि मोहम्मद अयूब कड़ीवाला ने इसी सामग्री की सहायता से टाइम बम बनाने का प्रयास किया था,हालांकि वह सफल नहीं हो सका। बाद में यह सामग्री बिलाल आबिदभाई शेरा को पहुंचाई गई थी।

कोरोना वायरस की वापसी...4 लोगों की मौत,स्वास्थ्य विभाग सतर्क

नई दिल्ली,17 जुलाई 2026। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर नई जानकारी सामने आई है। राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त जी वीरपांडियन ने बताया कि 26 जून से 16 जुलाई के बीच राज्य में 12 लोग कोविड-19 से संक्रमित मिले, जिनमें से चार लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी मरीज पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। इस बीच कडप्पा के आरआईएमएस अस्पताल में कोविड वार्ड भी बना दिया गया है। स्वास्थ्य आयुक्त ने बताया कि जिन चार मरीजों की मौत हुई, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियां पहले से थीं। इनमें से तीन मरीज कडप्पा जिले के थे और एक मरीज काकीनाडा का रहने वाला था। उन्होंने कहा कि राज्य में समय-समय पर कोविड के मामले सामने आते रहे हैं। आयुक्त के मुताबिक, साल 2026 में आंध्र प्रदेश का पहला कोविड मामला 26 जून को कडप्पा जिले में दर्ज हुआ था। इसके बाद 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 11 और मामले सामने आए।

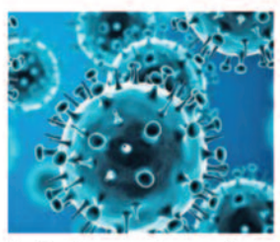

संपादकीय

घुसपैठियों के मददगार

इसकी आशंका बहुत पहले से थी कि कुछ गिरोह सुनियोजित तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को अवैध तरीके से देश में लाने और बसाने का काम कर रहे हैं। गत दिवस प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से पश्चिम बंगाल,दिल्ली,उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी करने और घुसपैठ में लिप्त गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने से यह आशंका सच सिद्ध होती दिख रही है।

इस गिरोह के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई इसलिए की,क्योंकि वे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए के तहत स्वयं को मिलने वाले पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे। वे इस पैसे के जरिये घुसपैठियों को देश में लाकर उन्हें फर्जी पहचान पत्रों से लैस करने के साथ उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में बसाने और उनकी आजीविका का प्रबंध करते थे। वे आर्थिक रूप से कितने समर्थ थे, इसे इससे समझा जा सकता है कि उनकी ओर से घुसपैठियों को ई रिक्शा तक दिए जाते थे। स्पष्ट है कि उन्हें बड़ी मात्रा में विदेश से चंदा मिलता था। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि ईडी ने बंगाल के एक मदरसे से 40 लाख रुपये और 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद बरामद किए।

ईडी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के आंतकवाद निरोधक दस्ते की उस प्राथमिकी के तहत हो रही है, जिसमें घुसपैठियों की सहायता करने वाले एक जटिल वित्तीय नेटवर्क का उल्लेख किया गया था। चूंकि इस नेटवर्क में कई तथाकथित कल्याणकारी संस्थाएं शामिल हैं,इसलिए उन सबको न केवल बेनकाब किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार भी बनाया जाना चाहिए। यह सही समय है कि घुसपैठियों के मददगार अन्य तत्वों के खिलाफ बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों के साथ-साथ देश के सभी राज्यों की पुलिस एवं अन्य एजेंसियां भी सक्रिय हों।

इसकी आवश्यकता इसलिए है,क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के करीब-करीब हर राज्य में नजर आते हैं। इन घुसपैठियों ने बंगाल के साथ-साथ पूर्वोत्तर के राज्यों से घुसपैठ करके जिस तरह दिल्ली,जम्मू,हैदराबाद, सूरत आदि में अपने ठिकाने बना लिए,उससे यही पता चलता है कि उन्हें किसी साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से लाकर देश भर में बसाया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि उनके हमदर्द भी पैदा हो गए हैं। वे उन्हें देश में रहने देने की वकालत कर रहे हैं। वास्तव में ऐसे ही लोग विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के नियमों में किए गए संशोधन का विरोध कर रहे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि घुसपैठियों की बढ़ती संख्या देश के संसाधनों पर बोझ बनने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बन रही है। यह एक तथ्य है कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे मतदाता यानी भारतीय नागरिक बन गए हैं।

महंगाई,दोहरी आय और बदलता परिवार

क्या सचमुच महिलाओं के काम करने से महंगा हुआ जीवन?

डॉ.प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

आज के समय में यदि किसी मध्यमवर्गीय परिवार से पूछा जाए कि उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या है,तो उत्तर लगभग एक जैसा होगा–बच्चों की महंगी शिक्षा,घर का सपना,स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता खर्च और रोजमर्रा की बढ़ती महंगाई। एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति वर्षों की बचत के बाद भी अपना घर नहीं खरीद पा रहा। निजी विद्यालयों की फीस इतनी अधिक हो चुकी है कि बच्चों की शिक्षा परिवार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ?

हाल के वर्षों में एक विचार तेजी से चर्चा में आया है कि इन समस्याओं का प्रमुख कारण महिलाओं का बड़ी संख्या में कार्यक्षेत्र में आना है। तर्क दिया जाता है कि जब पति और पत्नी दोनों कमाने लगे तो परिवारों की कुल आय बढ़ गई। बाजार ने इसे अवसर मान लिया और मकानों,स्कूलों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के दाम बढ़ा दिए। इस विचार के समर्थक यह भी कहते हैं कि महिलाओं के घर से बाहर निकलने से परिवार कमजोर हुए,बच्चों का पालन-पोषण प्रभावित हुआ और समाज में अस्थिरता बढ़ी।

यह तर्क पहली नजर में कुछ लोगों को आकर्षक लग सकता है,क्योंकि वास्तव में आज अधिकांश शहरी परिवारों में एक आय से घर चलाना कठिन होता जा रहा है। किंतु किसी भी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का विश्लेषण केवल एक कारण के आधार पर नहीं किया जा सकता। समाज,अर्थव्यवस्था और परिवार कई परस्पर जुड़े कारकों से प्रभावित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस बहस को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाए।

सबसे पहले यह समझना होगा कि भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में मकानों की कीमतें केवल परिवारों की आय बढ़ने से नहीं बढ़ीं। शहरीकरण, सीमित भूमि,बढ़ती आबादी,निवेश के रूप में रियल एस्टेट की लोकप्रियता, सरकारी नीतियां,निर्माण लागत,भूमि अधिग्रहण की जटिलताएं और आसान ऋण व्यवस्था जैसे अनेक कारणों ने संपत्ति की कीमतों को प्रभावित किया। यदि केवल महिलाओं के रोजगार से ही मकान महंगे हुए होते,तो जिन देशों में महिलाओं की श्रम भागीदारी अधिक है वहां आवास हमेशा सबसे महंगा होना चाहिए था,जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है।

इसी प्रकार शिक्षा की बढ़ती लागत का संबंध भी अनेक कारणों से है। निजी शिक्षा का विस्तार,आधुनिक सुविधाओं की प्रतिस्पर्धा,अंग्रेजी माध्यम का आकर्षण,तकनीकी संसाधनों पर बढ़ता खर्च,शिक्षकों के वेतन,परिवहन,भवन निर्माण और शिक्षा के व्यवसायीकरण ने फीस बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कहना कि केवल इसलिए स्कूलों की फीस बढ़ी क्योंकि महिलाएं नौकरी करने लगीं,आर्थिक वास्तविकताओं का अत्यधिक सरलीकरण होगा।

फिर भी इस विचार के पीछे एक महत्वपूर्ण चिंता अवश्य छिपी हुई है। वह चिंता है परिवार की बदलती संरचना और जीवन की गुणवत्ता। यह सत्य है कि पहले संयुक्त परिवारों में बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा और घरेलू जिम्मेदारियां साझा होती थीं। आज छोटे परिवारों में पति-पत्नी दोनों के कार्यरत होने पर समय का अभाव महसूस होता है। बच्चों के साथ बिताया जाने वाला समय कम हुआ है। तनाव, मानसिक दबाव और कार्य-जीवन संतुलन की समस्याएं बढ़ी हैं। लेकिन इन समस्याओं का समाधान महिलाओं को घर तक सीमित करना नहीं,बल्कि ऐसी सामाजिक और आर्थिक नीतियां बनाना है जो परिवार और कार्य के बीच संतुलन स्थापित कर सकें।

इतिहास भी इस विषय को उतनी सरलता से नहीं देखता जितना अक्सर सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया जाता है। महिलाओं ने सदियों से खेती,पशु पालन,हस्तशिल्प,व्यापार और पारिवारिक व्यवसायों में योगदान दिया है। औद्योगिक क्रांति के दौरान भी बड़ी संख्या में महिलाएं कारखानों में कार्य करती थीं। इसलिए यह कहना कि इतिहास में महिलाएं हमेशा घर पर ही रहती थीं,वास्तविकता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता। अंतर केवल इतना है कि पहले उनके श्रम का बड़ा हिस्सा बिना वेतन के घरेलू कार्यों में दिखाई देता था,जबकि आज वही श्रम वेतन भोगी रोजगार के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

यह भी सही है कि घरेलू कार्य का आर्थिक मूल्य अक्सर कम करके आंका गया है। घर संभालना,बच्चों का पालन-पोषण करना,बुजुर्गों की सेवा करना और परिवार की व्यवस्था बनाए रखना किसी भी समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। यदि कोई महिला या पुरुष यह भूमिका निभाता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन इसी प्रकार यदि कोई महिला अपनी शिक्षा,योग्यता और इच्छा के अनुसार नौकरी करना चाहती है तो उसके निर्णय का भी समान सम्मान होना चाहिए। वास्तविक सशक्तिकरण का अर्थ विकल्प का अधिकार है, न कि किसी एक जीवनशैली को सभी पर थोप देना।

आर्थिक दृष्टि से भी यह विचारणीय है कि यदि लाखों महिलाएं अचानक कार्यबल से बाहर हो जाएं तो देश की उत्पादन क्षमता,कर संग्रह,उपभोग और आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अनेक क्षेत्रों–शिक्षा,स्वास्थ्य, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी,प्रशासन और वैज्ञानिक अनुसंधान–में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों से महिलाओं की अनुपस्थिति केवल परिवारों को ही नहीं,बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति को प्रभावित करेगी।

वास्तविक समस्या शायद कहीं और है। पिछले कुछ दशकों में उत्पादकता जितनी बढ़ी,उतनी गति से आम नागरिक की वास्तविक क्रयशक्ति नहीं बढ़ी। संपत्ति कुछ हाथों में अधिक केंद्रित हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं का तेजी से निजीकरण हुआ। महानगरों में भूमि की उपलब्धता सीमित रही। निवेशकों ने आवास को रहने की आवश्यकता से अधिक निवेश का साधन बना दिया। परिणामस्वरूप मकान आम परिवार की पहुंच से दूर होते गए। इसी प्रकार शिक्षा सेवा न रहकर एक बड़े उद्योग का रूप लेती गई। इन संरचनात्मक कारणों की अनदेखी कर पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के रोजगार पर डाल देना समस्या का समाधान नहीं है। निश्चित रूप से आधुनिक जीवनशैली ने परिवारों के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। छोटे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, वैवाहिक संबंधों में संवाद की कमी और बढ़ता मानसिक तनाव वास्तविक समस्याएं हैं। इनका समाधान लचीले कार्य घंटे, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, गुणवत्तापूर्ण डे-केयर, परिवार समर्थक नीतियों और कार्यस्थलों पर संवेदनशील वातावरण से निकलेगा। केवल महिलाओं को दोषी ठहराने से न तो महंगाई कम होगी और न ही परिवार मजबूत होंगे।

यह भी समझना होगा कि अनेक महिलाओं के लिए नौकरी कोई शौक नहीं बल्किआवश्यकता है। बढ़ती महंगाई, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा खर्च, आवास ऋण और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के कारण दोहरी आय कई परिवारों की मजबूरी बन चुकी है।

दक्षिण अफ्रीका से दुनिया तक गूंजती इंसाफ की आवाज थे नेल्सन मंडेला

नेल्सन मंडेला : नस्लवाद की जंजीरें तोड़ने वाला अमर योद्धा

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़, नई दिल्ली

नेल्सन मंडेला,एक ऐसा नाम,जो समस्त विश्व समुदाय के लिए मानवता, साहस, सहिष्णुता और संघर्ष का प्रतीक बन गया है। प्रति वर्ष 18 जुलाई को'नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है, जो न केवल इस महान नेता को श्रद्धांजलि देने का दिन है बल्कि यह पूरी दुनिया को यह संदेश भी देता है कि परिवर्तन लाने के लिए केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म आवश्यक हैं। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हम सभी की भूमिका होती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के म्वेजो नामक गांव में हुआ था। वे थेम्बू कुल की एक शाखा 'मदिवा' जनजाति से थे और उनका मूल नाम 'रोहिलाहला मंडेला'था,जिसका अर्थ होता है 'शरारती'। उन्हें 'नेल्सन' नाम उनके स्कूल शिक्षक ने अंग्रेजी नामों की परंपरा के तहत दिया था। उनका जीवन एक सामान्य अफ्रीकी बच्चे की तरह शुरू हुआ लेकिन उनके भीतर असाधारण नेतृत्व क्षमता और अन्याय के प्रति गहरी संवेदना थी, जिसने उन्हें बाद में एक क्रांतिकारी नेता बना दिया।

नेल्सन मंडेला की शिक्षा की शुरुआत क्लार्कबरी मिशनरी स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी और जोहान्सबर्ग स्थित विटवाटरस्रैंड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया,जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रंगभेद नीति और सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी थी। दक्षिण अफ्रीका में उस समय श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा 'अपरथाइड' नामक नस्लीय भेदभाव की क्रूर नीति लागू थी,जिसके अंतर्गत अश्वेतों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्हें वोट देने,जमीन रखने, शिक्षा प्राप्त करने,अस्पतालों में इलाज करवाने और बसों-रेस्तरां जैसी सार्वजनिक सेवाओं का समान उपयोग करने का अधिकार नहीं था। मंडेला ने इन्हीं अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया। वे 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए और जल्द ही संगठन के युवा विंग के संस्थापक बन गए। अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलनों के जरिये उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया लेकिन जब उन्हें लगा कि सरकार की दमनकारी नीति अहिंसात्मक विरोध को कुचलने पर आमादा है तो उन्होंने 'उमखोंतो वे सिजवे'नामक एक सशस्त्र संगठन की स्थापना की, जो दक्षिण अफ्रीका में क्रांति का आरंभ था।

1962 में मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह,हिंसा भड़काने और विदेशी सहायता प्राप्त करने के आरोप लगाए गए। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्होंने अपना अधिकांश समय कुख्यात रोबेन द्वीप की जेल में बिताया।

यह सजा कुल 27 वर्षों की लंबी यातना बन गई परंतु जेल की कोठरी में रहते हुए भी मंडेला की आत्मा आजाद रही। वे न टूटे, न झुके और न डरे। जेल में उन्होंने पढ़ाई की,दूसरे कैदियों को शिक्षित किया और अपना संघर्ष जारी रखा। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका और दुनियाभर में मंडेला की रिहाई की मांग उठने लगी। अंततः सरकार झुकी और 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया। यह क्षण इतिहास में आज भी जीवंत है, जब एक अश्वेत नेता,जिसे वर्षों तक आतंकवादी करार दिया गया था,अब स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक बन चुका था। रिहाई के बाद मंडेला ने अपने सभी विरोधियों को माफ कर दिया। उन्होंने न केवल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को फिर से संगठित किया बल्कि देश को भी एकजुट किया। उन्होंने विभाजन नहीं बल्कि मेल-मिलाप की राजनीति की। उनकी इसी दूरदृष्टि और अहिंसा के पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा ने दक्षिण अफ्रीका को नस्लीय संघर्ष से निकालकर लोकतंत्र की ओर अग्रसर किया।

दक्षिण अफ्रीका में 1994 में पहली बार बहुजातीय आम चुनाव आयोजित हुए, जिसमें हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिला और परिणामस्वरूप नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह महज एक राजनीतिक जीत नहीं थी, यह एक युग परिवर्तन था। मंडेला ने अपने राष्ट्रपति काल में सुलह, सामाजिक समरसता और आर्थिक पुनर्निर्माण की नीति को अपनाया। उन्होंने जातीय द्वेष के बजाय सहयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने 'सत्य और मेलमिलाप आयोग' की स्थापना की, जहां पीड़ित और अपराधियों दोनों को एक साथ लाया गया ताकि सच्चाई सामने आ सके और समाज नई शुरुआत कर सके। नेल्सन मंडेला की सोच 'उबुन्टु' दर्शन से प्रभावित थी, जो अफ्रीकी संस्कृति में मानवीय संबंधों और सह-अस्तित्व की भावना को महत्व देती है। मंडेला ने यह दिखा दिया कि बदले की भावना से कोई देश नहीं बनता बल्कि माफी और मेल-मिलाप की भावना से स्थायी शांति संभव है। उनके जीवन के योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। 1993 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1990 में उन्हें भारत सरकार ने 'भारत रत्न' से सम्मानित किया और वे यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति बने। इसके अलावा उन्हें संयुक्त राष्ट्र,अमेरिका,रूस,फ्रांस जैसे अनेक देशों और संस्थाओं ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जुलाई को 'नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस' घोषित किया ताकि लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के लिए स्वयं को समर्पित कर सकें। इस दिन दुनियाभर में सामाजिक सेवा,मानवाधिकार,शिक्षा स्वास्थ्य और समानता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का संदेश है कि हर व्यक्ति इस दिन कम से कम 67 मिनट समाजसेवा को समर्पित करे, जो मंडेला के सार्वजनिक जीवन के 67 वर्षों के प्रतीक हैं।

नेल्सन मंडेला का जीवन केवल दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं था। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चे नेता वह होते हैं,जो अपने कष्टों को व्यक्तिगत नहीं मानते बल्कि उसे जनकल्याण की प्रेरणा बना देते हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ अधिकार नहीं,जिम्मेदारी है। वे जब राष्ट्रपति बने तो केवल एक कार्यकाल तक सत्ता में रहे जबकि वे चाहते तो आजीवन शासन कर सकते थे पर उन्होंने सत्ता को साध्य नहीं,साधन माना। 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में नेल्सन मंडेला ने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरी दुनिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लाखों लोगों ने उन्हें 'दक्षिण अफ्रीका का गांधी' कहा तो कई लोगों ने उन्हें 'मानवता का प्रकाश स्तंभ' बताया। उनके सम्मान में कई देशों में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। आज उनकी मूर्तियां,नाम पर बने संस्थान और उनके विचारों पर आधारित योजनाएं दुनियाभर में उनकी विरासत को जीवित रखे हुए हैं। नेल्सन मंडेला का जीवन उन लोगों के लिए आदर्श है,जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं।

बलूचिस्तान के आजादी की घोषणा के मायने

दुर्गेश्वर राय,गोरखपुर,उत्तरप्रदेश

सोशल मीडिया पर हाल ही में बलूचिस्तान की आजादी से जुड़ा एक पत्र तेजी से वायरल हुआ। इस पत्र में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के गठन और नई मुद्रा जारी करने का दावा किया गया। स्वतंत्र जांचकर्ताओं और वैश्विक मीडिया ने इस दावे को पूरी तरह अपुष्ट और इंटरनेट प्रोपेगैंडा माना है। जमीनी स्तर पर बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की माँग को लेकर संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। इस संघर्ष के पीछे कई ऐतिहासिक,आर्थिक और प्रशासनिक कारण मौजूद हैं।

हालांकि,अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक राजनीति की कसौटी पर किसी भी क्षेत्र के लिए एक नए देश का दर्जा पाना आज के दौर में बेहद दुरूह है। मोंटेवीडियो कन्वेंशन के अनुसार किसी नए राष्ट्र के लिए स्थायी आबादी,निश्चित भूभाग,प्रभावी सरकार और विदेशी संबंध बनाने की क्षमता जैसे बुनियादी मानकों को पूरा करना होता है। बलूचिस्तान के पास आबादी और भूभाग तो है,लेकिन वहां एक संप्रभु और प्रभावी प्रशासनिक सरकार की स्थापना करना पाकिस्तानी सैन्य नियंत्रण के रहते व्यावहारिक रूप से असंभव बना हुआ है हालांकि पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपना नियंत्रण लगातार खोता जा रहा है। इसके आगे की बाधा और भी विकट है,जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी और महासभा के दो-तिहाई देशों का समर्थन आवश्यक होता है। बलूचिस्तान के संदर्भ में, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चीन अपने विशाल आर्थिक हितों और सी.पी.ई.सी. परियोजना को बचाने के लिए किसी भी स्वतंत्रता प्रस्ताव पर तुरंत अपने वीटो का इस्तेमाल कर उसे निरस्त कर देगा। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी भी संप्रभु देश की प्रादेशिक अखंडता को प्राथमिकता देती है, इसलिए जब तक मूल देश स्वयं विभाजित होने की अनुमति न दे या उसका पूर्ण विघटन न हो जाए,तब तक एकतरफा स्वतंत्रता को वैश्विक मान्यता मिलना लगभग नामुमकिन होता है।

बलूचिस्तान के विद्रोह का इतिहास विभाजन के समय से शुरू होता है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय जब अंग्रेजों ने देशी रियासतों को भारत में शामिल होने या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया तो कलात रियासत ने अपनी स्वतंत्रता चुनी थी,लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने बलपूर्वक इसका विलय कर लिया। इसके बाद 1954 से 1958 के बीच पाकिस्तान की वन-यूनिट पॉलिसी के विरुद्ध दूसरा बड़ा विद्रोह हुआ,जिसका नेतृत्व नवाब नौरोज खान ने किया। वर्ष 1963 से 1970 के दौरान सेना की वापसी की माँग को लेकर बलूच कबायली नेताओं ने शेरों मूरी के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। इन दोनों ही चरणों में बलूच नेताओं को बातचीत के बहाने बुलाकर गिरफ्तार किया गया या फांसी दे दी गई,जिससे बलूच जनता में अविश्वास की खाई और गहरी हो गई। वर्ष 1973 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार को बर्खास्त किया,तब बांग्लादेश से प्रेरित होकर चार वर्षीय स्वायत्तता आंदोलन छिड़ गया। वर्ष 2000 के बाद से विद्रोह की पाँचवीं लहर चल रही है,जिसमें सैन्य ज्यादतियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर असंतोष चरम पर है।

इस असंतोष का एक बड़ा कारण आर्थिक शोषण और मानवाधिकारों का हनन है। बलूचिस्तान खनिज संसाधनों के मामले में अत्यधिक समृद्ध है,लेकिन यह पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस, तांबा और सोने के भंडार हैं,परंतु इसका स्थानीय लाभ न्यूनतम है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और ग्वादर बंदरगाह जैसी बड़ी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी न के बराबर है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 से अब तक 10,000 से अधिक बलूच नागरिक लापता हो चुके हैं, जिन्हें जबरन गायब करने और फर्जी मुठभेड़ों में मारने के आरोप पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर लगते रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा के कारण तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अल-कायदा जैसे उग्रवादी समूहों की सक्रियता भी बढ़ी है, जिससे शिया समुदायों पर सांप्रदायिक हमले हो रहे हैं।

बलूचिस्तान के अलग होने या अस्थिर होने का सीधा प्रभाव उसके पड़ोसियों और वैश्विक शक्तियों पर पड़ता है। चीन ने सी.पी.ई,सी.और ग्वादर में भारी निवेश किया है, जिससे उसकी सीधी पहुंच अरब सागर तक होती है। बलूचिस्तान में अस्थिरता से चीन के आर्थिक हितों को गहरा धक्का लग रहा है।

जहाँ तक भारत के रुख का प्रश्न है, भारत इस पूरे मामले में एक सतर्क दृष्टिकोण रखता है। भारत बलूचिस्तान में किसी भी तरह के सीधे हस्तक्षेप से इनकार करता है और पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज करता है। भारत का मानना है कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है जिसे उन्हें स्वयं हल करना चाहिए। हालांकि, वर्ष 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था,जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत के अनुरूप है। भारत वैश्विक मंचों पर हमेशा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के भीतर रहकर क्षेत्रीय स्थिरता और बलूच नागरिकों के अधिकारों की पैरवी करता है। वैश्विक मंतव्य भी यही है कि बलूचिस्तान में हिंसा और सैन्य दमन रुकना चाहिए,ताकि दक्षिण एशिया में सुरक्षा की चुनौतियां और अधिक गंभीर न हों।

आज का मॉनसून,कल का इतिहास नहीं,भविष्य का फैसला है...

हम विकास लिखते रहे, प्रकृति परिणाम लिखती रही... धरती का दर्द अब आँकड़ों में नहीं, आपदाओं में दर्ज हो रहा है...

रितेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

प्रकृति चेतावनी देने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेती,वह अपने संकेत छोड़ती है–कभी प्यास से फटी धरती पर,कभी पहाड़ों से टूटते मलबे में,तो कभी एक रात की बारिश में ढह गए घरों की खामोशी में। 2026 का मॉनसून भी ऐसा ही एक मौन संदेश था,जिसे अनसुना करना आने वाले कल से आंखें मूंदना होगा। जून में सामान्य से लगभग 40 प्रतिशत से अधिक वर्षा की कमी ने खेतों की उम्मीदें सुखा दीं। एल नीनो के प्रभाव में किसान आसमान निहारते रहे,लेकिन बादल बेरुख़ रहे। फिर जुलाई ने अचानक करवट बदली। मुंबई,वायनाड,रत्नागिरी सहित कई क्षेत्रों में कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश ने साबित कर दिया कि अब खतरा बारिश के कम या अधिक होने में नहीं,बल्कि उसके बेकाबू और असंतुलित स्वरूप में है। 2026 का मॉनसून इस सच्चाई की गवाही बन गया कि जलवायु परिवर्तन ने मौसम का मिज़ाज बदल दिया है।

यह बदलाव आकस्मिक नहीं,बल्कि विज्ञान की वर्षों पुरानी चेतावनी का साकार रूप है। वैज्ञानिकों के अनुसार,गर्म होती पृथ्वी का वातावरण पहले से अधिक नमी समेट रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का बढ़ता तापमान इसे ऊर्जा दे रहा है। नतीजा यह है कि बादल अब ठहरकर नहीं,टूटकर बरसते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जुलाई के शुरुआती दिनों में मुंबई (सांताक्रुज स्टेशन) में 600-900 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो जुलाई के पूरे महीने के औसत का बड़ा हिस्सा थी। दूसरी ओर, वायनाड में मौसमी वर्षा सामान्य से कम रही,लेकिन दो दिनों की मूसला धार बारिश ने टनल निर्माण स्थल पर मिट्टी का पहाड़ ढहा दिया। इस हादसे में कई मजदूरों की जान गई,कुछ लापता रहे। यह महज़ हादसा नहीं,बल्कि बदलते जलवायु दौर की भयावह तस्वीर है,जहाँ कम वर्षा वाला मौसम भी विनाश की इबारत लिख सकता है।

2026 के मॉनसून ने केवल शहरों को नहीं, हमारी विकास-दृष्टि को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। कंक्रीट के फैलते जंगलों ने पानी के प्राकृतिक रास्ते निगल लिए। नतीजा था–मुंबई के मानखुर्द में चॉल ढह गई,पालघर में बाढ़ दस से अधिक जिंदगियां बहा ले गई,पेड़ उखड़े,दीवारें गिरीं और शहर दिनों तक थम गए। यह तबाही सिर्फ आसमान से बरसे पानी की नहीं थी; जर्जर ड्रेनेज व्यवस्था, रिक्लेम्ड भूमि पर अनियोजित निर्माण और प्रकृति की कीमत पर खड़ा विकास भी इसके भागीदार थे। जलवायु विशेषज्ञ वर्षों से चेताते रहे हैं कि मध्य भारत में 1950 के बाद अत्यधिक वर्षा की घटनाएं लगभग तीन गुना बढ़ चुकी हैं। 2026 ने उस चेतावनी को आंकड़ों से उठाकर सड़कों, बस्तियों और ज़िंदगियों पर लिख दिया। अब बारिश मौसम नहीं, कुछ घंटों में पूरे महीने का संतुलन और शहरों की व्यवस्था बहा ले जाती है।

2026 के मॉनसून ने एक भ्रम तोड़ दिया–सूखा और बाढ़ अब विरोधी नहीं,बल्कि एक ही जलवायु संकट के दो रूप हैं। एल नीनो ने पहले बारिश रोकी, फिर गर्म वातावरण ने संचित नमी उलीच दी। सूखी धरती पानी सोख न सकी,वही जल मैदानों में बाढ़ और पहाड़ों में भूस्खलन बन गया। बदलता मौसम चेतावनी है कि अब खतरा वर्षा की मात्रा से अधिक उसकी तीव्रता और असंतुलन में है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार,वैश्विक तापमान 1.5-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कई क्षेत्रों में आर्द्र गर्मी गंभीर संकट बन सकती है। यानी आने वाले समय में चुनौती केवल सूखे और बाढ़ की नहीं,बारिश के बाद की दमघोंटू उमस जनस्वास्थ्य,श्रम क्षमता और अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी।

2026 के मॉनसून ने एक नया शब्द सिखाया है–वैरिएबिलिटी। अब बारिश का आकलन उसकी कुल मात्रा से नहीं, बल्कि उसके समय,अवधि और तीव्रता से होगा। कई दिनों का सूखा और फिर एक-दो दिनों में पूरे महीने जितनी वर्षा–यही नया पैटर्न खेती,पर्यावरण और शहरों की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों को कम अवधि वाली फसलें, जलवायु-अनुकूल बीज और सटीक मौसम पूर्वानुमान अपनाने होंगे। शहरों को स्पॉन्ज सिटी मॉडल विकसित करना होगा, ताकि वर्षा जल सड़कों पर बहने के बजाय जमीन में समा सके। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां वैज्ञानिक आकलन और कठोर मानकों से संचालित हों; क्योंकि बदलते मौसम में यही विकास की सबसे विश्वसनीय बुनियाद है।

सबसे बड़ी भूल यह होगी कि जलवायु संकट का समाधान केवल राष्ट्रीय योजनाओं में खोजा जाए। 2026 का मॉनसून बताता है कि पिछले दो वर्षों की अच्छी वर्षा से अधिकांश जलाशय भरे होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर भारी तबाही हुई। साफ है,बड़े बांध,घोषणाएं और राहत पैकेज तब तक पर्याप्त नहीं होंगे,जब तक हर शहर,गांव और पहाड़ी क्षेत्र अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार न हो। वेटलैंड्स का संरक्षण,वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक,नदियों और प्राकृतिक जलमार्गों का पुनर्जीवन तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विकास की आधारशिला बनानाअब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन भविष्य की आशंका नहीं,वर्तमान का यथार्थ है–और इसकी सबसे बड़ी कीमत आने वाली पीढ़ियां नहीं,आज का समाज चुका रहा है।

हर आपदा केवल नुकसान नहीं छोड़ती,वह हमारी प्राथमिकताओं का भी परीक्षण करती है। 2026 का मॉनसून इसी कसौटी पर हमें परख गया। उसने स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति की सीमाओं की अनदेखी कर किया गया विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। अब समय राहत और मुआवजे की घोषणाओं से आगे बढ़कर विकास की दिशा बदलने का है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जलवायु-अनुकूल,नीतियों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और विकास को पर्यावरण का प्रतिद्वंद्वी नहीं,उसका सहभागी बनाना होगा। चेतावनी स्पष्ट है, निर्णय हमारे हाथ में है। यदि इस संकेत को भी अनसुना किया गया,तो आने वाले मॉनसून केवल नई आपदाएं नहीं लाएंगे,बल्कि हमारी विकास-यात्रा की नींव को भी कठघरे में खड़ा कर देंगे। यही 2026 के मॉनसून की सबसे बड़ी सीख है और यही हमारे समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

सूने मकान का ताला तोड़ 76 हजार की चोरी,नकदी समेत कांस के बर्तन और चांदी के पायल पार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर के एक गांव में सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 50 हजार नकद व घरेलू सामान पार कर दिया है। घटना की जानकारी होने पर मामले की रिपोर्ट लखनपुर थाने में दर्ज कराई है जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह लखनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसका नया और पुराना घर गांव में ही है। परिवार नए घर में रहता है, जबकि रात में वह पुराने घर में सोने जाता था। 15 जुलाई की रात वह पुराने घर में नहीं गया। वहीं उसका छोटा भाई पत्नी के साथ अंबिकापुर चला गया था, जिससे घर पूरी तरह सूना था। 16 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे प्रार्थी की पत्नी पुराने घर पहुंची तो बाहर के दरवाजे का ताला खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो आलमारी और पेटियां खुली थीं तथा सामान बिखरा पड़ा था। सूचना मिलने पर प्रार्थी और उसका भाई पहुंचे तथा सामान का मिलान किया। जांच में प्रार्थी के कमरे से 50 हजार रुपए नकद, कांस की 6 थालियां, 4 लोटे और चांदी के 4 जोड़ी पायल गायब मिले। वहीं उसके भाई के कमरे से कांस की 9 थालियां और 10 लोटे चोरी होना पाया गया। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 76 हजार रुपए बताई गई है। राजनाथ की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी हे।

ग्राहक सेवा केंद्र का शटर तोड़ 4.22 लाख की चोरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भवराडांड स्थित स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर 4 लाख 22 हजार रुपए नकद चोरी कर लिए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार भवराडांड निवासी सत्यनारायण कुशवाहा गांव में स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करते हैं। उन्होंने 8 जुलाई को स्टेट बैंक सीतापुर से चेक के माध्यम से 3.20 लाख रुपए तथा प्रवीण गुप्ता से यूपीआई के जरिए 1.02 लाख रुपए प्राप्त किए थे। कुल 4.22 लाख रुपए ग्राहकों के भुगतान के लिए केंद्र के काउंटर में रखे गए थे। 10 जुलाई की शाम करीब 6.30 बजे केंद्र बंद कर सत्यनारायण अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन 11 जुलाई की सुबह उठकर देखा तो सेवा केंद्र के शटर का ताला टूटा हुआ था। अंदर काउंटर में रखे पूरे 4.22 लाख रुपए गायब थे। उन्होंने सीतापुर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय करने पर अम्बिकापुर के मेसर्स इन्द्र कृषि सेवा केंन्द्र का लाइसेंस निरस्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए विकासखण्ड अम्बिकापुर अंतर्गत ग्राम बड़ादमाली के मेसर्स इन्द्र कृषि सेवा केन्द्र की उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 09 जून 2026 को ग्राम नानदमाली व बड़ादमाली के कृषकों द्वारा मेसर्स इन्द्र कृषि सेवा केन्द्र के विरूद्ध शिकायत की गई थी। जिसके अनुसार मेसर्स के द्वारा निर्धारित शासकीय मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री की जा रही थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय उर्वरक निरीक्षक एवं जिला स्तरीय टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित कृषकों के बयान व साक्ष्यों से यह पुष्टि हुआ कि मेसर्स के द्वारा शासन द्वारा घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री की जा रही थी,जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड-3 (3) का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है। अनियमितता एवं उर्वरक निरीक्षक क्षेत्र नवानगर के अनुशंसा के आधार पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी एवं उप संचालक कृषि द्वारा मेसर्स इन्द्र कृषि सेवा केन्द्र के प्रोपराइटर श्रीमती श्वेता सोनी को जारी उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है।

तिलक-चंदन से हुआ नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत,बांटी गईं साइकिलें

खलीबा स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव,'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत किया गया पौधरोपण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

विकासखंड अंबिकापुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलीबा में शुक्रवार को शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का तिलक-चंदन लगाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया एवं विशिष्ट अतिथि जनपद पंचायत अंबिकापुर के सभापति विजय व्यापारी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य मीना पुरोहित ने की। इस अवसर पर सरपंच शांति बाई, रामनाथ भगत,बहुरन राय, शामिल राम, महेश्वर यादव,विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुई। शासन की सरस्वती साइकिल योजना के तहत पात्र छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। वहीं 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन और संस्कार अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास की आधारशिला है। उन्होंने प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोडने की आवश्यकता पर बल दिया तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य मीना पुरोहित ने सभी अतिथियों,जनप्रतिनिधियों,ग्रामवासियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

50 लाख रुपये की लागत से बनेगी सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा,महापौर व भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया भूमि पूजन

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर मनेन्द्रगढ़ रोड फॉरेस्ट बैरियर के पास विकसित होगा स्थल,गार्डनिंग और हाईमास्ट लाइट की भी होगी व्यवस्था

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

नगर पालिक निगम अंबिकापुर द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा स्थापना के लिए शुक्रवार को भूमि पूजन किया गया। करीब 50 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना में प्रतिमा स्थापना के साथ-साथ गार्डनिंग एवं हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था भी की जाएगी।

भूमि पूजन कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मंजूषा भगत एवं भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने विधिवत पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह प्रतिमा मनेन्द्रगढ़ रोड स्थित फॉरेस्ट बैरियर के पास स्थापित की जाएगी, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। इस अवसर पर मेयर इन काउंसिल सदस्य मनीष सिंह, जितेंद्र सोनी, ममता तिवारी, कमलेश तिवारी और मनोज कंसारी, भाजपा नेता विवेक दुबे, प्रियंका गुप्ता, पार्षद शैलेश सिंह, जे. कुजूर, अवधेश सोनकर, दीपक गर्ग, विकास सोनी, रविंद्र गुप्त भारती, शैलेन्द्र शर्मा, मधु चौधरी, प्रियंका चौबे, नीलम राजवाड़े एवं सरस्वती यादव सहित नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उनकी प्रतिमा नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा, एकता और अखंडता की प्रेरणा देगी। परियोजना पूर्ण होने के बाद यह स्थल शहर का एक प्रमुख आकर्षण बनने के साथ-साथ नागरिकों के लिए एक सुंदर सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित होगा।

आईजी से फिर जवाब मांगेगी कांग्रेस,भाजपा नेताओं से जुड़े मामलों में कार्रवाई पर उठाए सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भाजपा नेताओं से जुड़े मामलों में पुलिस जांच की धीमी गति और कार्रवाई में कथित शिथिलता के विरोध में कांग्रेस सोमवार को एक बार फिर पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) से मुलाकात करेगी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल विभिन्न प्रकरणों की जांच की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगेगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक और नगर निगम अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने बताया कि 6 जुलाई को बरसते बारिश में न्याय यात्रा निकालकर आईजी कार्यालय का घेराव किया गया था। उस दौरान जिन मामलों को प्रमुखता से उठाया गया था, उनमें अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मीना बाजार आवंटन से जुड़ी वायरल ऑडियो क्लिप की जांच अब तक लंबित है। ऑडियो में मेला संचालक अनुराग मिश्रा तथा नगर निगम की महापौर मंजूषा भगत और भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के बीच कलाकेंद्र मैदान के आवंटन के संबंध में कथित पैसों के लेनदेन की बातचीत होने का दावा किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि स्वयं महापौर भी इस ऑडियो को साजिश बताते हुए जांच की मांग कर चुकी हैं, लेकिन जांच में अब तक प्रगति नहीं हुई है। कांग्रेस ने भिट्ठी भूमि घोटाला मामले में भी जांच की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए। साथ ही सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी से मारपीट के मामले में एसडीएम द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि ऐसे मामलों में कोई सामान्य नागरिक आरोपी होता, तो पुलिस की कार्रवाई अलग होती। उन्होंने सरगुजा के प्रभारी मंत्री एवं अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिले की गंभीर घटनाओं और इन मामलों पर उनका सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल आईजी से सभी मामलों की जांच की प्रगति, अब तक हुई कार्रवाई और आगे की कार्ययोजना की जानकारी मांगेगा। पार्टी का कहना है कि यदि निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

ट्रक में लोड 130 बोरी पीडीएस चावल जब्त,अरुण ट्रेड्स पर कार्रवाई...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

उचित मूल्य की दुकानों के शासकीय चावल की कथित कालाबाजारी की शिकायत पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने अरुण ट्रेड्स पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान परिसर में खड़े एक ट्रक से 130 बोरी पीडीएस चावल बरामद किए गए। मामले में दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक टीम के पहुंचते ही अरुण ट्रेड्स के संचालक अरुण बंसल गोदाम में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे वहां से निकल गए। अधिकारियों को आशंका है कि गोदाम में बड़ी मात्रा में पीडीएस चावल रखा हुआ है। गोदाम सील कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। खाद्य विभाग और जिला प्रशासन जब्त चावल के स्रोत तथा उसके परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अरुण बंसल के खिलाफ पूर्व में भी पीडीएस चावल की कथित हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर मामले ने तूल पकड़ लिया है।

सकलो शासकीय सुकर फार्म में मार्च से चल रहा था परीक्षण,सूकर पालकों को मिलेगा बड़ा लाभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 98वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित किया। इस वैक्सीन का पहला सफल फील्ड ट्रायल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित शासकीय सुकर फार्म, सकलो में किया गया। वैक्सीन का विकास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (एनआईएचएसएडी),भोपाल के वैज्ञानिकों डॉ. राजू कुमार, डॉ. सैन्थिल, डॉ. वेंकटेश और फतेह सिंह ने किया है। शासकीय सुकर फार्म के प्रबंधक डॉ. अजय अग्रवाल एवं डॉ. सीके मिश्रा ने बताया कि संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में मार्च 2026 से फील्ड ट्रायल शुरू किया गया था। परीक्षण एनआईएचएसएडी के वैज्ञानिकों की तकनीकी निगरानी में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूकरों में होने वाला अत्यंत घातक वायरल रोग है, जिसकी मृत्यु दर लगभग 100 प्रतिशत तक हो सकती है। फिलहाल इसका कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है और संक्रमित पशुओं को केवल सहायक उपचार ही दिया जाता है। भारत में एएसएफ वैक्सीन का यह पहला फील्ड ट्रायल माना जा रहा है।

सोमनाथ यात्रा से लौटते समय लापता श्रद्धालु का 20 दिन बाद भी सुराग नहीं

परिजनों ने कलेक्टर से लगाई गुहार,तलाश में डेढ़ लाख खर्च,पत्नी ने जमीन तक गिरवी रखी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा में शामिल सरगुजा जिले के एक श्रद्धालु का 20 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने शुक्रवार को कलेक्टर से मुलाकात कर प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए श्रद्धालु की जल्द तलाश कराने की गुहार लगाई। उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलका निवासी पूरन राम पोर्ते (48) 22 जून को 87 श्रद्धालुओं के साथ सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा पर गए थे। 26 जून को वापसी के दौरान महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन पर शाम करीब 7.15 बजे वे ट्रेन से उतर गए। इसके बाद वे वापस ट्रेन में नहीं चढ़े और तभी से लापता हैं। साथियों ने काफी तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। बाद में इसकी सूचना परिजनों को दी गई। भुसावल रेलवे पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की है। परिजन पहले पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल से मिले थे। इसके बाद शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में अन्य राज्यों के प्रशासन से समन्वय कर खोजबीन तेज कराने की मांग की।

तलाश में बिक गई जमा-पूंजी,जमीन भी रखनी पड़ी गिरवी : लापता श्रद्धालु की पत्नी गंगामती पोर्ते ने बताया कि पति की तलाश में परिवार अब तक करीब डेढ़ लाख रुपए खर्च कर चुका है। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें 65 हजार रुपए के लिए अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। इसके बावजूद अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। परिवार ने शासन-प्रशासन से मानवीय आधार पर शीघ्र खोजबीन कर पूरन राम पोर्ते का पता लगाने की मांग की है।

कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम : अंबिकापुर शहरी क्षेत्र में विशेष एचपीवी टीकाकरण अभियान प्रारंभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंबिकापुर शहरी क्षेत्र में विशेष एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे इस अभियान में 13 से 18 जुलाई तक 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की पात्र बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम का एक प्रभावी एवं सुरक्षित माध्यम है। निर्धारित आयु में टीकाकरण कराने से भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर होने का जोखिम काफी हद तक कम किया जा सकता है। सभी पात्र बालिकाओं को निकटतम शासकीय स्वास्थ्य केंद्र अथवा चिन्हित टीकाकरण स्थलों पर यह टीका पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। अभियान के सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन तथा विद्यालय प्रबंधन संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। शासकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी पात्र बालिकाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को एचपीवी टीकाकरण के महत्व से अवगत कराने के लिए चिकित्सकों द्वारा होली क्रॉस स्कूल,कन्या परिसर स्कूल, मणिपुर स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल सहित अन्य विद्यालयों में जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

बूचड़खाने ले जाए जा रहे 6 गाय-बछड़ों को पुलिस ने कराया मुक्त,दो आरोपी गिरफ्तार,भेजे गए जेल

-संवाददाता-
बलरामपुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर थाना पुलिस ने पशु तस्करी और पशुओं के प्रति क्रूरता के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 गाय-बछड़ों को सुरक्षित मुक्त कराया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 जुलाई 2026 को रामचंद्रपुर थाना में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग छह गाय-बछड़ों को कथित रूप से क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते बूचड़खाने की ओर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी मवेशियों को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने सभी छह मवेशियों को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित कराया तथा मामले में अपराध क्रमांक 31/2026 दर्ज किया। आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

एसएसपी राजेश अग्रवाल के नाम से बनी फर्जी फेसबुक आईडी,लोगों को भेजी जा रही फ्रेंड रिक्वेस्ट

मोबाइल नंबर मांगकर ठगी की आशंका,साइबर सेल जांच में जुटी,लोगों से सतर्क रहने की अपील

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

साइबर ठग अब सरकारी अधिकारियों की पहचान का दुरुपयोग कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला सरगुजा से सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने एसएसपी राजेश अग्रवाल के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक आईडी बना ली है। इस आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है और रिक्वेस्ट स्वीकार करने वालों से मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार,कुछ लोगों को एसएसपी के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद उनसे मोबाइल नंबर मांगे गए तो उन्हें संदेह हुआ। इसकी जानकारी एसएसपी को दी गई। जांच में सामने आया कि यह पूरी तरह फर्जी फेसबुक आईडी है। इसके बाद एसएसपी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर साइबर सेल जांच में जुट गई है। फर्जी आईडी पर एसएसपी की प्रोफाइल फोटो के साथ कार्यालय की बैठक का कवर फोटो लगाया गया है। अब तक इस आईडी से 72 लोग जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि इसका इस्तेमाल लोगों से ठगी करने के लिए किया जा सकता है। एसएसपी राजेश अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अधिकारी या परिचित के नाम से आई फ्रेंड रिक्वेस्ट की पुष्टि किए बिना स्वीकार न करें और किसी भी स्थिति में मोबाइल नंबर, ओटीपी, बैंक या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

पहले भी बन चुके हैं फर्जी अकाउंट

इससे पहले सरगुजा और बलरामपुर के कलेक्टरों के नाम से भी फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को संदेश भेजे गए थे। ऐसे मामलों को देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

आधी रात में अस्पताल के बाहर मिला गुटखा-सिगरेट, लेकिन जीवन बचाने वाली दवा नहीं !

पूर्व विधायक के करीबी ज्ञानेंद्र शुक्ला की पोस्ट ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल

ज्ञानेंद्र शुक्ला
पूर्व विधायक के करीबी

रात 12:15 बजे दवा की जरूरत पड़ी, दोस्त को नींद से उठाकर लाना पड़ा दवा !

Gyanendra Shukla
22h ·

बात तो कुछ खास नहीं...जिला मुख्यालय बैकुंठपुर कोरिया... इलाज.... रात को कुछ खास टाइम नहीं 12 बज कर 15 मिनट हुए थे इत्तेफाक से एक दवाई की जरूरत आ गई और मैं निकला दवा लेने तो... आप लोग स्वयं देख लीजिए लेकिन आपको पसंद की सिगरेट और पाउच मिल जाएगा दवाई नहीं... वो तो अच्छा है कुछ लोगों से संबंध अच्छे हैं बेचारा एक मित्र नींद से उठ कर दवाई दे दिया एक बात कहना चाहुंगा जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों को अगर लगता है तो कम से कम एक औषधि दुकान ऐसी हो जहां जरूरतमंद को दवाइयां मिल जाए ऐसी व्यवस्था बनाने की पहल करें। 😢💊💊

- अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र बंद
- बाहर गुटखा, सिगरेट, चाय-पानी की दुकानें खुली
- आपातकाल में मरीजों को हो रही परेशानी
- 24 घंटे दवा उपलब्ध कराने की उठी मांग

क्या जिला मुख्यालय में 24 घंटे दवाई की सेवा देने वाली एक भी दुकान नहीं ?

जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल

जीवन बचाने वाली दवा पर ताला...गुटखा-सिगरेट की दुकानें रातभर चालू...आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी?

जन औषधि केंद्र पर ताला,बाहर गुटखा-पाउच की बिक्री जारी...क्या यही है 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा?

- 24 घंटे इलाज का दावा,लेकिन रात में दवा के लिए भटकते मरीज...बैकुंठपुर जिला अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल
- जिला अस्पताल में रात को बंद जन औषधि केंद्र,बाहर खुली गुटखा-चाय की दुकानें...आखिर मरीज जाए तो कहां ?
- रात 12:15 बजे दवा नहीं मिली,दोस्त को नींद से उठाना पड़ा...पूर्व विधायक के करीबी की पोस्ट से उठे बड़े सवाल
- अस्पताल में इलाज,लेकिन दवा नहीं...जिला मुख्यालय में 24 घंटे मेडिकल स्टोर नहीं होने पर उठा सवाल...
- पूर्व विधायक के करीबी ज्ञानेंद्र शुक्ला की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उठे सवाल,बोले...रात 12:15 बजे दवा नहीं मिली, मित्र को नींद से उठाकर मंगानी पड़ी जिला मुख्यालय में 24 घंटे मेडिकल स्टोर की उठी मांग...

-संवाददाता-
बैकुंठपुर/कोरिया,17 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरकारें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे करती हैं,जिला अस्पतालों को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बताया जाता है,गंभीर मरीजों के इलाज,आपातकालीन सेवाओं और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवा उपलब्ध कराने की बातें लगातार की जाती हैं,लेकिन यदि आधी रात को किसी मरीज को जीवनरक्षक दवा की जरूरत पड़ जाए और पूरा जिला मुख्यालय दवा के लिए भटकने को मजबूर कर दे,तो ऐसे दावों की हकीकत क्या रह जाती है? कोरिया जिले के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,यह सवाल किसी विपक्षी नेता या आम नागरिक ने नहीं,बल्कि एक समय बैकुंठपुर विधायक के बेहद करीबी रहे ज्ञानेंद्र शुक्ला ने अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उठाया है,उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है,क्योंकि इसमें केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बड़ी खामी उजागर होती दिखाई दे रही है।

रात 12:15 बजे दवा की जरूरत पड़ी, लेकिन पूरी व्यवस्था सोती मिली-ज्ञानेंद्र शुक्ला ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि रात लगभग 12 बजकर 15 मिनट पर उनके घर के एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई,आवश्यक दवा लेने के लिए वे तत्काल बाहर निकले,उन्हें उम्मीद थी कि जिला अस्पताल परिसर या आसपास कम से कम एक मेडिकल स्टोर ऐसा जरूर होगा,जहां आपातकालीन स्थिति में दवा मिल जाएगी,लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो जन औषधि केंद्र सहित दवा दुकानें बंद मिलीं,उन्होंने लिखा कि अस्पताल के आसपास सिगरेट,गुटखा,पान मसाला,चाय-पानी और कुरकुरे जैसी चीजें आसानी से मिल रही थीं, लेकिन जीवन बचाने वाली दवा कहीं उपलब्ध नहीं थी।

क्या जन औषधि केंद्र सिर्फ दिन में ताला खोलने के लिए हैं?-सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत अस्पताल परिसरों में मेडिकल स्टोर खोले हैं,ताकि लोगों को सस्ती और आसानी से दवा मिल सके,लेकिन यदि यही दुकानें रात में बंद रहती हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इनका संचालन केवल औपचारिकता है? क्या अस्पताल परिसर में स्थित जन औषधि केंद्र का 24 घंटे खुला रहना आवश्यक नहीं? यदि नहीं,तो आपातकालीन मरीजों को दवा कौन देगा?

सिगरेट मिल जाएगी, दवा नहीं-

अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा बात तो कुछ खास नहीं...जिला मुख्यालय बैकुंठपुर...रात को 12 बजकर 15 मिनट हुए थे, इत्तेफाक से एक दवाई की जरूरत आ गई। आप लोग स्वयं देख लीजिए... लेकिन आपको पसंद की सिगरेट और पाउच मिल जाएगा, दवाई नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि सौभाग्य से उनके कुछ लोगों से अच्छे संबंध थे, इसलिए एक मित्र को नींद से उठाकर दवा मंगवानी पड़ी, अन्यथा स्थिति और गंभीर हो सकती थी।

क्या जिला अस्पताल में 24 घंटे दवा मिलने की व्यवस्था केवल कागजों तक?-

यह घटना कई सवाल खड़े करती है, जिला अस्पताल का उद्देश्य केवल डॉक्टर और बिस्तर उपलब्ध कराना नहीं होता, बल्कि मरीज को तत्काल आवश्यक दवा उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, यदि अस्पताल परिसर में संचालित जन औषधि केंद्र या मेडिकल स्टोर रात के समय बंद रहते हैं तो फिर आपातकालीन मरीजों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? क्या अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को रात में कई किलोमीटर दूर दवा खोजने निकलना पड़ेगा?

जिला मुख्यालय में एक भी 24 घंटे मेडिकल स्टोर क्यों नहीं?

बैकुंठपुर जिला मुख्यालय है,यहां जिला अस्पताल है,ट्रॉमा जैसी आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था है,रात-दिन मरीज पहुंचते हैं,ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पूरे जिला मुख्यालय में एक भी ऐसा मेडिकल स्टोर नहीं होना चाहिए,जो 24 घंटे खुला रहे? यदि किसी दुर्घटना,हार्ट अटैक,जहरीले जीव के काटने,तेज बुखार, अस्थमा या अन्य आपातकालीन स्थिति में दवा की आवश्यकता पड़े तो मरीज आखिर कहां जाएगा?

किसकी जिम्मेदारी है यह व्यवस्था?

यह प्रश्न केवल किसी निजी मेडिकल स्टोर का नहीं है, यदि अस्पताल परिसर में दवा उपलब्ध नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी मानी जाए? जिला अस्पताल प्रबंधन की? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की? जन औषधि केंद्र संचालकों की? जिला प्रशासन की? या फिर स्वास्थ्य विभाग की?

कभी अस्पताल में लोगों की मदद करते थे ज्ञानेंद्र शुक्ला

ज्ञानेंद्र शुक्ला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं,वे लंबे समय तक पूर्व स्थानीय विधायक के बेहद करीबी रहे और अस्पताल में आने वाले मरीजों की सहायता करते हुए अक्सर देखे जाते थे,स्थानीय लोग बताते हैं कि वे अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहते थे, लेकिन अब जब उनके साथ स्वयं यह घटना हुई तो उन्हें अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से फेसबुक पर लिखनी पड़ी,इससे यह संकेत भी मिलता है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं ऐसी कमी है,जो सीधे आम नागरिकों को प्रभावित कर रही है।

सोशल मीडिया से प्रशासन को आईना

ज्ञानेंद्र शुक्ला ने अपनी पोस्ट के अंत में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए लिखा जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि कम से कम एक औषधि दुकान ऐसी हो,जहां जरूरतमंद को रात में भी दवाइयां मिल सकें,ऐसी व्यवस्था बनाने की पहल की जाए,उनकी यह अपील केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं,बल्कि पूरे जिले की आवश्यकता को सामने रखती है।

स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे कमजोर पहलू

अक्सर अस्पतालों में डॉक्टर,मशीनें और भवन होने की चर्चा होती है,लेकिन आपातकालीन दवा उपलब्धता पर कम ध्यान दिया जाता है, विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी इमरजेंसी में इलाज की पहली कड़ी समय पर दवा मिलना होती है, यदि दवा ही उपलब्ध न हो तो अस्पताल की अन्य सुविधाएं भी प्रभावित हो जाती हैं।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जवाब की उम्मीद

यह मामला अब केवल एक फेसबुक पोस्ट तक सीमित नहीं रह गया है, लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है कि जिला मुख्यालय में कम से कम एक 24 घंटे संचालित मेडिकल स्टोर होना चाहिए, विशेषकर जिला अस्पताल परिसर या उसके आसपास,यदि अस्पताल में रातभर मरीजों का इलाज होता है तो दवा की उपलब्धता भी चौबीसों घंटे सुनिश्चित होनी चाहिए...

सबसे बड़ा सवाल

- क्या जिला अस्पताल में जीवनरक्षक दवाओं की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित है?
- यदि अस्पताल परिसर की दुकानें रात में बंद रहती हैं तो मरीज कहां जाए?
- क्या जन औषधि केंद्रों के संचालन का समय पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए?
- क्या जिला प्रशासन इस व्यवस्था की समीक्षा करेगा?
- और सबसे महत्वपूर्ण...क्या बैकुंठपुर जैसे जिला मुख्यालय में एक भी 24 घंटे मेडिकल स्टोर नहीं होना चाहिए? यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं के उस पहलू को उजागर करती है, जिस पर शायद अब गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

सरगुजा में मुसाफिर और किरायदारों की सघन जांच,ठेले-गुमटियों से लेकर किराये के मकानों तक पुलिस की पैनी नजर

कोतवाली पुलिस ने न्यायालय परिसर,कलाकेंद्र,भट्ठी रोड और प्रमुख चौक-चौराहों पर चलाया विशेष अभियान,संदिग्धों की सूचना देने की अपील

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,17 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुसाफिर एवं किरायदार सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाकर किरायदारों, बाहरी व्यक्तियों तथा अस्थायी रूप से कार्य कर रहे लोगों का सत्यापन किया। अभियान के दौरान पुलिस टीम न्यायालय परिसर,कलाकेंद्र परिसर के आसपास, भट्ठी रोड तथा प्रमुख चौक-चौराहों पर पहुंची। यहां फल ठेला संचालकों, चाय-नाश्ता ठेलों,छोटे गुमटी संचालकों और उनमें कार्यरत कर्मचारियों से पूछताछ कर उनकी पहचान और निवास संबंधी जानकारी का सत्यापन किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने किराये के मकानों में रहने वाले लोगों के पहचान पत्रों की जांच की तथा मकान मालिकों और आसपास के रहवासियों को समझाइश दी कि यदि उनके क्षेत्र में कोई बाहरी व्यक्ति आकर रहता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना या पुलिस को दें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिना सत्यापन के क्षेत्र में रह रहे अथवा संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की जांच की जाएगी।

पुलिस की आम नागरिकों से अपील

सरगुजा पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि उनके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति,अवैध रूप से रह रहा मुसाफिर या छिपकर रहने वाला व्यक्ति दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल सरगुजा पुलिस हेल्पलाइन 9479193599 अथवा डायल 112 पर दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी तथा सूचना के आधार पर त्वरित सत्यापन एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

तेज रफ्तार पिकअप पुलिया में गिरी 1 युवक की मौत,3 की हालत गंभीर

-संवाददाता-
रामानुजगंज,17 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज स्थित रिंग रोड पर शुक्रवार दोपहर सड़क हादसे में पिकअप सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसा करीब 1.30 बजे हुआ। दरअसल तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर रिंग रोड स्थित पुलिया में करीब 15 फीट नीचे जा गिरी। पिकअप में एक ही गांव के 4 युवक सवार थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार व अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने चारों युवकों को पुलिस के नीचे से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया। यहां 1 युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 3 युवकों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बलरामपुर-रामानुजगंज के सनावल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुर्लूडीह निवासी धुनधुन पिता मुखदेव 21 वर्ष, सुनील यादव पिता बलदेव यादव 35 वर्ष, उमा 21 वर्ष एवं मंगलू पिता भूखन 24 वर्ष अपनी 2 खराब बाइक की मरम्मत कराने शुक्रवार को रामानुजगंज आए थे। दोनों बाइक को उन्होंने गैरेज में बनने के लिए छोड़ दिया। चारों को ग्राम नवाडीह से पौधे लेकर पिकअप वाहन से अपने गांव लौटना था। पौधे लोड करने के बाद चारों पिकअप में सवार होकर दोपहर करीब डेढ़ बजे रामानुजगंज रिंग रोड होते हुए घर की ओर लौट रहे थे। वे रिंग रोड स्थित स्वाद घर के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार की वजह से चालक ने नियंत्रण खो दिया और पिकअप करीब 15 फीट नीचे पुलिया में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि धुनधुन पिता मुखदेव 21 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सुनील यादव,बलदेव यादव, उमा एवं मंगलू गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिया से निकालकर ले जाया गया अस्पताल पुलिया में पिकअप गिरने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे। इसकी सूचना रामानुजगंज पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिया के नीचे पिकअप में फंसे चारों युवकों को बाहर निकाला। इसके बाद चारों को रामानुजगंज अस्पताल लाया गया। यहां जांच पश्चात पुलिस ने धुनधुन को मृत घोषित कर दिया।

दुकान से घर तक...आखिर कहां टूट गई 17 वर्षीय छात्रा? बैकुंठपुर कांड में कई सवाल अब भी अनुत्तरित

सिर्फ कथित प्रताड़ना नहीं...कई चूकें भी आईं सामने...बैकुंठपुर आत्महत्या मामले का दूसरा पक्ष...

एक आत्महत्या,कई सवाल : क्या परिवार, पुलिस और समाज समय रहते बचा सकते थे एक मासूम की जिंदगी?

बैकुंठपुर आत्महत्या कांड : क्या एक नहीं,कई लापरवाहियों ने छीनी 17 वर्षीय छात्रा की जिंदगी?

घटना से पहले कई मौके थे...फिर क्यों नहीं बच सकी एक मासूम? बैकुंठपुर कांड का सामाजिक विश्लेषण...

क्या यह आत्महत्या रोकी जा सकती थी? बैकुंठपुर कांड में परिवार,पुलिस और समाज की चूक पर उठे गंभीर सवाल...

नाबालिग को अकेले स्कूटी से बाजार भेजने से लेकर मानसिक स्थिति को नजरअंदाज करने तक कई पहलुओं पर मंथन जरूरी,अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे...

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के बैकुंठपुर में 17 वर्षीय आदिवासी छात्रा की आत्महत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है,घटना के बाद पुलिस ने कथित प्रताड़ना के आरोप में तीन लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया,एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है जबकि दो अन्य की तलाश जारी है,पुलिस जांच अपने स्तर पर आगे बढ़ रही है और न्यायालय अंततः तय करेगा कि आपराधिक जिम्मेदारी किसकी बनती है,लेकिन किसी भी दुःखद घटना का एक कानूनी पक्ष होता है और एक सामाजिक पक्ष,कानूनी पक्ष अदालत तय करती है,जबकि सामाजिक पक्ष पर समाज को स्वयं आत्ममंथन करना पड़ता है,यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसे सवाल भी सामने आते हैं जो केवल आरोपियों तक सीमित नहीं हैं,यदि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है तो परिवार,पुलिस, समाज और शिक्षा व्यवस्था–सभी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी।

क्या नाबालिग को स्कूटी देकर अकेले बाजार भेजना भी एक गंभीर चूक थी?-इस पूरे मामले का शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम चर्चा में आया पहलू यही है,बताया गया कि छात्रा स्कूटी चलाकर बाजार गई थी,यदि यह तथ्य सही है,तो पहला सवाल यह उठता है कि क्या उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था? भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध लाइसेंस सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है,नाबालिग द्वारा वाहन चलाना केवल बच्चे की नहीं, बल्कि अभिभावक की जिम्मेदारी भी बनती है,यहीं से पहला सामाजिक प्रश्न शुरू होता है, यदि घर में माता-पिता या परिवार का कोई अन्य सदस्य स्वयं सामान खरीद सकता था,तो नाबालिग बच्ची को अकेले भेजने कीआवश्यकता क्यों पड़ी? यदि उसे खरीदारी का अनुभव देना था तो कोई बड़ा सदस्य उसके साथ जा सकता था, यह प्रश्न किसी परिवार को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सीख लेने के उद्देश्य से उठाया जाना चाहिए।

कथित प्रताड़ना, पुलिस को पहले से जानकारी और फिर आत्महत्या...आखिर जिम्मेदार कौन?
17 साल की बेटी ने क्यों चुनी मौत? बैकुंठपुर की घटना ने पुलिस,व्यवस्था और परवरिश-तीनों पर खड़े किए बड़े सवाल

दो साल, दो नाबालिग, दो मौतें... क्या व्यवस्था और समाज का नजरिया भी दोहरा रहा?
दो साल,दो नाबालिग,दो आत्महत्याएं...क्या व्यवस्था और समाज की संवेदनशीलता भी दो हिस्सों में बंट गई?

क्या यह आत्महत्या रोकी जा सकती थी? 18 घंटे की चुप्पी, कथित प्रताड़ना और व्यवस्था की चूक ने खड़े किए कई सवाल
कथित प्रताड़ना,पुलिस को पहले से जानकारी और फिर आत्महत्या...आखिर जिम्मेदार कौन?

पिता पुलिस विभाग में थे,इसलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है...

इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि छात्रा के पिता स्वयं पुलिस विभाग में पदस्थ थे, पुलिस विभाग नियमित रूप से स्कूलों,कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाता है,बच्चों को बताया जाता है बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाना है,नाबालिग वाहन नहीं चलाएंगे,अभिभावक इसकी जिम्मेदारी लें,ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या वही जागरूकता घर के भीतर भी लागू हुई? यह प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष पर दोषारोपण नहीं,बल्कि जिम्मेदारी के व्यापक संदर्भ में है।

यदि बच्ची बाजार नहीं जाती तो क्या घटनाक्रम बदल सकता था?

यह एक अनुमान का विषय अवश्य है,लेकिन सोचने योग्य भी है, यदि वह अकेले बाजार नहीं जाती...यदि कोई बड़ा सदस्य साथ होता...यदि खरीदारी परिवार स्वयं करता...तो क्या यह पूरा विवाद टल सकता था? शायद, शायद नहीं,लेकिन यह संभावना इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

घटना के बाद सबसे बड़ी कमी–किसी ने बच्ची का मन नहीं पढ़ा...

बताया गया कि चोरी के आरोप की जानकारी उसी दिन परिवार तक पहुंच गई थी,पुलिस तक भी सूचना पहुंची थी, दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही थी,समझौते के प्रयास चल रहे थे,रकम को लेकर भी कथित चर्चा हो रही थी,लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? वह बच्ची,क्या किसी ने उससे पूछा तुम कैसी हो? तुम्हें किस बात का डर लग रहा है?तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता है? यहीं सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है।

कानूनी समाधान खोजा गया, मानसिक समाधान नहीं...

पूरे घटनाक्रम में सभी लोग समाधान खोज रहे थे,लेकिन समाधान किसका? स्कूटी का, कथित चोरी का,कथित रकम का,समझौते का,लेकिन किसी ने बच्ची की मानसिक स्थिति को समाधान का विषय नहीं बनाया,यही वह बिंदु है जो इस पूरे मामले को केवल एक आपराधिक प्रकरण से आगे ले जाकर सामाजिक त्रासदी बना देता है।

18 घंटे में ऐसा क्या हुआ?

बताया जा रहा है कि विवाद एक दिन हुआ और लगभग 18 घंटे बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली, यानी पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण समय वही था,इन्हीं घंटों में परिवार उसके साथ बैठ सकता था,पुलिस संवेदनशील संवाद कर सकती थी,समाज के जिम्मेदार लोग समझा सकते थे,यदि आवश्यक होता तो मनोवैज्ञानिक परामर्श भी लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ या नहीं,यह जांच का विषय है।

क्या केवल कथित प्रताड़ना ही वजह थी?

यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आत्महत्या का कारण केवल एक ही था,जांच यह तय करेगी कि घटना तक पहुंचने में किन-किन परिस्थितियों की भूमिका रही,लेकिन सामाजिक विश्लेषण यह जरूर कहता है कि आत्महत्या जैसी घटनाएं अक्सर कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से होती हैं,मानसिक दबाव...सामाजिक भय...अपमान..भविष्य की चिंता...अकेलापन ...और संवाद की कमी।

बच्चों को केवल पढ़ाना पर्याप्त नहीं,उन्हें जीवन जीना भी सिखाना होगा...

आज अधिकांश अभिभावक बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं,अच्छा स्कूल,अच्छे अंक, अच्छा करियर,लेकिन क्या हम उन्हें यह भी सिखा रहे हैं कि गलती होने पर क्या करना है? आलोचना सहना कैसे है? असफलता से कैसे लड़ना है? यदि नहीं,तो यह शिक्षा अधूरी है।

हर परिवार को इस घटना से सीख लेनी चाहिए...

यह घटना केवल एक परिवार की नहीं है,यह हर घर के लिए संदेश है,नाबालिग बच्चों को अकेले वाहन चलाकर बाजार भेजना केवल यातायात नियम का प्रश्न नहीं है,यह सुरक्षा का प्रश्न भी है,यह जिम्मेदारी का प्रश्न भी है,और कभी-कभी यही छोटी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन जाती है।

पुलिस की भूमिका केवल कानून तक सीमित नहीं हो सकती

जब किसी विवाद में किशोर या नाबालिग शामिल हो,तब पुलिस की भूमिका केवल एफआईआर और समझौते तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,संवेदनशील मामलों में पुलिस यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए,परिवार को सचेत करे और आवश्यक होने पर परामर्श की सलाह दे,तो कई बार बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है।

समाज को भी बदलना होगा...

हमारी सामाजिक सोच भी जिम्मेदार है,हम छोटी घटनाओं को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देते हैं,बच्चे गलती से ज्यादा बदनामी से डरते हैं,यही डर कई बार उन्हें गलत निर्णय लेने की ओर धकेल देता है,हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां गलती सुधारने का अवसर मिले,न कि जीवन समाप्त करने का भय।

दोष तय करना अदालत का काम है, लेकिन सीख लेना समाज का कर्तव्य...

इस मामले में दुकान संचालकों पर लगे आरोपों की जांच कानून के अनुसार होगी और न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय देगा। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि हम इस घटना को केवल एक एफआईआर या एक गिरफ्तारी तक सीमित न रखें। यह घटना हमें सिखाती है कि बच्चों को केवल अनुशासन नहीं, भावनात्मक सहारा भी चाहिए,केवल कानून नहीं, संवेदनशील संवाद भी चाहिए,केवल दोषी खोजने से काम नहीं चलेगा,बल्कि उन परिस्थितियों को समझना होगा जिनमें एक 17 वर्षीय बच्ची ने जीवन से हार मान ली,यदि इस घटना से परिवार यह सीखें कि नाबालिगों को अकेले वाहन न चलाने दें,पुलिस यह सीखे कि संवेदनशील मामलों में मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है, और समाज यह समझे कि हर गलती का समाधान है, तो शायद इस दुखद घटना से भविष्य के लिए एक सकारात्मक संदेश निकले। यही उस मासूम के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

CMYK

चार साल पहले मिला मध्यस्थीय अवार्ड...आज तक नहीं मिला मुआवजा...अब 21 जुलाई को राष्ट्रीय राजमार्ग पर आंदोलन का ऐलान

जमीन अधिग्रहित कर ली...मुआवजा देने में चार साल की देरी...प्रशासन को 7 दिन का अंतिम अल्टीमेटम...

- 'जमीन सरकार ले गई,अब हक के पैसे के लिए दर-दर भटक रहे'...भू-स्वामी ने दी एनएच-43 जाम करने की चेतावनी...
- मध्यस्थीय अवार्ड के चार साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा,कलेक्टर से पीएमओ तक गुहार के बाद अब सड़क पर उतरने की तैयारी...
- क्या राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण में दब रहे हैं भू-स्वामियों के अधिकार? जमीन गई,मुआवजा अटका,अब चक्का जाम की चेतावनी...
- जमीन चली गई,मुआवजा अटका,न्याय भी अधूरा...चार साल से भुगत रहा भू-स्वामी, अब 21 जुलाई को एनएच-43 पर होगा आंदोलन...
- प्रशासन को 7 दिन का अंतिम विधिक नोटिस,सवाल–जब जमीन ले ली तो मुआवजा देने में आखिर इतनी देरी क्यों?

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

किसी भी विकास परियोजना की सबसे बड़ी कीमत अक्सर वह किसान और भू-स्वामी चुकाते हैं,जिनकी जमीन सरकार अधिग्रहित करती है,बदले में उन्हें यह भरोसा दिया जाता है कि कानून के तहत उचित और समयबद्ध मुआवजा मिलेगा,ताकि वे अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित कर सकें,लेकिन कोरिया जिले के ग्राम डुमरिया निवासी सुदीप कुमार गुप्ता का मामला इस पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, उनकी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (पुराना एनएच-78) परियोजना के लिए अधिग्रहित कर ली गई,मध्यस्थ ने उनके पक्ष में अवार्ड भी पारित कर दिया, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला।

आज स्थिति यह है कि अपनी ही जमीन खो चुके एक भू-स्वामी को अपने वैधानिक अधिकार के लिए प्रशासन,न्यायिक प्रक्रिया और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं,कई बार आवेदन, जनदर्शन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री कार्यालय,आरटीआई और जन प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद भी समाधान नहीं निकला तो उन्होंने प्रशासन को 7 दिन का अंतिम विधिक नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 20 जुलाई 2026 तक भुगतान नहीं हुआ, तो 21 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर चक्का जाम कर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा।

विकास की कीमत किसान ने चुकाई, लेकिन अधिकार के लिए अब भी संघर्ष- ग्राम डुमरिया स्थित खसरा क्रमांक 3983 एवं 3984 की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी,भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद मामला मध्यस्थ के समक्ष पहुंचा, 14 दिसंबर 2021 को मध्यस्थ ने सुदीप कुमार गुप्ता के पक्ष में अवार्ड पारित करते हुए उन्हें निर्धारित मुआवजा देने का आदेश दिया। सामान्यतः ऐसे आदेश के बाद संबंधित विभाग को भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, लेकिन इस मामले में चार वर्षों के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है,यही कारण है कि अब यह मामला केवल एक व्यक्ति के भुगतान का नहीं,बल्कि सरकारी निर्णयों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही का भी विषय बन गया है।

चार वर्षों से कार्यालयों के चक्कर- अपने विधिक नोटिस में सुदीप कुमार गुप्ता ने विस्तार से उल्लेख किया है कि उन्होंने मुआवजा प्राप्त करने के लिए लगातार वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रयास किए,उन्होंने जिला प्रशासन, सक्षम भू-अर्जन अधिकारी,लोक निर्माण विभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम,प्रथम अपील, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन,प्रधानमंत्री कार्यालय,भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा अन्य सक्षम मंचों पर आवेदन प्रस्तुत किए,इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से मुलाकात कर अपने मामले में कार्रवाई की मांग की,लेकिन हर बार आश्वासन मिला,समाधान नहीं।

केवल उनका नहीं,कई भू-स्वामियों का भुगतान लंबित- अपने आवेदन में सुदीप कुमार गुप्ता ने एक और महत्वपूर्ण दावा किया है, उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-43 भूमि अधिग्रहण प्रकरण में केवल उनका ही नहीं बल्कि कई अन्य पात्र भू-स्वामियों का मुआवजा भी लंबे समय से लंबित है,यदि यह तथ्य सही है तो यह मामला किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं रह जाता, बल्कि पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

सात दिन का अंतिम विधिक नोटिस- इसी आधार पर उन्होंने कलेक्टर कोरिया एवं सक्षम भू-अर्जन अधिकारी को अंतिम विधिक नोटिस जारी किया है,इसमें मांग की गई है कि 14 दिसंबर 2021 के मध्यस्थीय अवार्ड के अनुसार संपूर्ण मुआवजा राशि का तत्काल भुगतान किया जाए,यदि भुगतान रोका गया है तो उसका विधिसम्मत आधार उपलब्ध कराया जाए, अन्य पात्र भू-स्वामियों के लंबित भुगतान पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाए।

नहीं मिला समाधान तो होगा चक्का जाम- अपने नोटिस में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यदि 20 जुलाई 2026 तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई तो वे 21 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (पुराना एनएच-78) स्थित डुमरिया के पास अपनी अधिग्रहित भूमि पर चक्का जाम आंदोलन करेंगे, उन्होंने इसे पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन बताया है।

पुलिस को पहले ही दे दी सूचना- आंदोलन को लेकर थाना पटना को भी लिखित सूचना दी गई है,सूचना पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि आंदोलन की पूर्व जानकारी इसलिए दी जा रही है ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और प्रशासन पहले से आवश्यक व्यवस्था कर सके।

जनदर्शन में मिला भरोसा भी निकला खोखला...

सुदीप कुमार गुप्ता ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि 9 जून 2026 को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में उन्होंने कलेक्टर कोरिया के समक्ष अपनी समस्या रखी थी,उनके अनुसार,उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 19 जून 2026 के बाद उनका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित समय बीत गया और भुगतान नहीं हुआ, इसके बाद 20 जून 2026 को पटना में आयोजित वृहद पंजीकरण समाधान शिविर में भी उन्होंने अपनी समस्या दोबारा उठाई,उनका आरोप है कि वहां न तो उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी दी गई और न ही उनका आवेदन स्वीकार किया गया, इससे उनके मन में यह धारणा और मजबूत हुई कि प्रशासन मामले को टालने का प्रयास कर रहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर विधायक तक पहुंचे...

लगातार निराशा मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, इसके अलावा स्थानीय विधायक भैयालाल राजवाड़े से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और सभी प्रभावित भू-स्वामियों का लंबित मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया, इसके बावजूद आज तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।

सबसे बड़ा सवाल–भुगतान रोका है तो आदेश कहां है?

अपने विधिक नोटिस में उन्होंने प्रशासन से दो टूक सवाल पूछा है,यदि वास्तव में मुआवजा भुगतान रोक दिया गया है तो किस सक्षम न्यायालय ने भुगतान पर रोक लगाई है? उस आदेश की प्रमाणित प्रति क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा रही? यदि कोई रोक नहीं है तो भुगतान आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा है कि बिना किसी वैधानिक आदेश के किसी नागरिक के वैधानिक अधिकार को अनिश्चितकाल तक रोके रखना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

धारा-34 का हवाला,लेकिन कानून कुछ और कहता है...

सुदीप कुमार गुप्ता ने अपने नोटिस में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धाराओं का भी उल्लेख किया है,उनका कहना है कि प्रशासन अनौपचारिक रूप से यह कहता रहा है कि मामला धारा-34 के अंतर्गत लंबित है,लेकिन कानून की धारा-36 स्पष्ट करती है कि केवल धारा-34 के तहत आवेदन लंबित होने मात्र से मध्यस्थीय अवार्ड के क्रियान्वयन या भुगतान पर स्वतः रोक नहीं लगती,यदि न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है तो उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना संबंधित प्राधिकरण का दायित्व है।

कई दस्तावेजों के साथ रखा अपना पक्ष...

विधिक नोटिस के साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न किए हैं,जिनमें 14 दिसंबर 2021 का मध्यस्थीय अवार्ड,केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पत्र,सक्षम भू-अर्जन अधिकारी के पत्र,मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों की प्रतियां,न्यायालय की केस हिस्ट्री,MoRTH से प्राप्त आरटीआई उत्तर, तथा पूर्व में किए गए विभिन्न पत्राचार शामिल हैं,इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने हर संभव वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया है।

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल...

यह पूरा मामला कई गंभीर सवाल छोड़ता है,यदि किसी व्यक्ति की भूमि अधिग्रहित कर ली गई,मध्यस्थीय अवार्ड भी पारित हो गया और उसके बाद भी वर्षों तक भुगतान नहीं हुआ,तो यह केवल एक प्रशासनिक देरी नहीं बल्कि व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्न है,भूमि अधिग्रहण अधिनियम का मूल उद्देश्य प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत मुआवजा देकर विकास और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना है, यदि यही प्रक्रिया वर्षों तक अधूरी रहे तो प्रभावित व्यक्ति आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता है।

अब प्रशासन के सामने अग्निपरीक्षा...

21 जुलाई की प्रस्तावित तारीख अब जिला प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण बन गई है, यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित आंदोलन से यातायात प्रभावित हो सकता है और कानून-व्यवस्था की चुनौती भी उत्पन्न हो सकती है, हालांकि,यह भी उल्लेखनीय है कि सुदीप कुमार गुप्ता ने आंदोलन से पहले प्रशासन को विधिक नोटिस देकर समाधान का अवसर दिया है और पुलिस को भी पूर्व सूचना देकर शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही है, अब यह देखना होगा कि प्रशासन सात दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान करता है, भुगतान रोकने का वैधानिक आधार सार्वजनिक करता है या फिर मामला सड़क पर उतरने तक पहुंचता है।

ग्राम रनई के आलोक तिवारी बने 'डॉ. आलोक तिवारी' ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में मिला मानद पीएचडी सम्मान

देश ही नहीं विदेशों में भी बना चुके हैं पहचान, निःशुल्क ज्योतिष शिक्षा देकर कर रहे ज्ञान का प्रसार

-संवाददाता-

बैकुंठपुर/कोरिया,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के ग्राम रनई के लिए गर्व का क्षण तब आया जब गांव के निवासी पं. आलोक तिवारी (मनीष) को ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में उनके विशेष शोध, अनुभव और योगदान के लिए Honorary Doctorate (मानद पीएचडी) की उपाधि से सम्मानित किया गया, इस सम्मान के बाद अब वे 'डॉ. आलोक तिवारी' के नाम से जाने जाएंगे, डॉ. आलोक तिवारी ने वर्षों से ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन,शोध और परामर्श के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है,उनका ज्योतिषीय ज्ञान केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी उन्हें सम्मान और पहचान मिली है, उनकी इस उपलब्धि से ग्राम रनई सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।

गांव के सरकारी स्कूल से शुरू हुआ सफर...

डॉ. आलोक तिवारी का बचपन ग्राम रनई में ही बीता,उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के शासकीय विद्यालय से प्राप्त की,एक छोटे से गांव से निकलकर अपने ज्ञान, मेहनत और समर्पण के बल पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है।

यूट्यूब के माध्यम से दे रहे निःशुल्क शिक्षा- डॉ. आलोक तिवारी ने बताया कि वे अपने 'आलोक तिवारी ज्योतिषी' नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र की निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं,उनका उद्देश्य ज्योतिष के प्राचीन ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि इच्छुक विद्यार्थी बिना किसी शुल्क के इस विद्या का अध्ययन कर सकें।

क्षेत्र के लिए प्रेरणा बनी उपलब्धि- एक छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना और मानद पीएचडी जैसी प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त करना निश्चित रूप से क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है,डॉ. आलोक तिवारी की यह उपलब्धि यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प, निरंतर अध्ययन और समर्पण के बल पर ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई जा सकती है।

बचपन के मित्र ने जताई खुशी...

डॉ. आलोक तिवारी के बचपन के मित्र शशि प्रकाश जायसवाल ने कहा कि वे उन्हें बचपन से जानते हैं और हमेशा देखा है कि आलोक तिवारी जिस कार्य को करने का संकल्प लेते हैं, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से पूरा करते हैं, उन्होंने कहा आज उनकी मेहनत और समर्पण का ही परिणाम है कि वे 'डॉ. आलोक तिवारी' के नाम से सम्मानित हुए हैं, यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत खुशी और गर्व का विषय है कि मेरा बचपन का मित्र आज इस मुकाम पर पहुंचा है।

परिवार ने बताया गौरव का क्षण...

डॉ. आलोक तिवारी के मामा राम सुशील पाण्डेय ने कहा कि यह सम्मान केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं,बल्कि पूरे ग्राम रनई और क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है, उन्होंने कहा,'मेरा भांजा बचपन से ही परिश्रमी,अनुशासित और दृढ़ संकल्प वाला रहा है। आज उसकी वर्षों की मेहनत रंग लाई है और उसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। हमें उसकी इस उपलब्धि पर गर्व है। '

सोनहत-धुम्माडांड मार्ग बना 'मौत का रास्ता',सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क?

तालाब बनी सड़क,हर सफर जोखिम भरा...सोनहत-धुम्माडांड मार्ग पर हादसे का इंतजार?

सोनहत-धुम्माडांड मार्ग की बदहाली ने खोली विकास की हकीकत...

बरसात में बह गई सड़क, गड्ढों और कीचड़ में फंसी जिंदगी...

'खूनी गड्ढों' में तब्दील हुआ सोनहत-धुम्माडांड मार्ग,हर दिन हादसे का खतरा

बरसात में सड़क बनी तालाब,स्कूली बच्चे कीचड़ और गंदे पानी से गुजरने को मजबूर,ग्रामीण बोले...

मरम्मत नहीं हुई तो होगा आंदोलन...

-राजन पाण्डेय-

बैकुंठपुर/सोनहत,17 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के सोनहत से धुम्माडांड को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग इन दिनों अपनी बदहाली के कारण लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है,बरसात शुरू होते ही सड़क की वास्तविक स्थिति सामने आ गई है, जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से यह तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां, हालात ऐसे हैं कि यह मार्ग अब सड़क कम और तालाब अधिक दिखाई देता है,रोजाना इसी रास्ते से गुजरने वाले ग्रामीण,स्कूली बच्चे,कर्मचारी और वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं,स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत लंबे समय से खराब है, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं होने के कारण बरसात में स्थिति और भयावह हो गई है। सड़क पर बने गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ गया है।

गड्ढों ने निगल ली सड़क- सोनहत-धुम्माडांड मार्ग पर कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है,डामर की परत खत्म होने के बाद वहां बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं,जिनमें बारिश का पानी भर चुका है। वाहन चालकों को यह अंदाजा ही नहीं लग पाता कि पानी के नीचे सड़क है या गहरा गड्ढा, ऐसे में हर सफर जोखिम भरा साबित हो रहा है,स्थानीय लोगों के अनुसार कई दोपहिया वाहन चालक गड्ढों में फंसकर गिर चुके हैं,चार पहिया वाहन भी धीरे-धीरे और अत्यंत सावधानी के साथ इस मार्ग से गुजर रहे हैं, बारिश के दौरान सड़क किसी जलाशय जैसी दिखाई देती है,जिससे दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ जाती है।

स्कूली बच्चों के लिए बनी सबसे बड़ी मुसीबत- इस जर्जर सड़क का सबसे अधिक असर स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ रहा है,प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राएं इसी मार्ग से स्कूल पहुंचते हैं,साफ-सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर निकलने वाले बच्चों को कीचड़ और पानी से भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है,सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब कोई भारी वाहन गड्ढों से होकर गुजरता है, गंदे पानी और कीचड़ के छींटे सीधे बच्चों के कपड़ों और स्कूल बैग पर पड़ते हैं,कई बार बच्चों को रास्ते में रुकना पड़ता है या भीगने और फिसलने का खतरा उठाकर स्कूल पहुंचना पड़ता है।

दलदल में बदल चुकी है सड़क- सड़क के कई हिस्सों में केवल मिट्टी और कीचड़ बची है, लगातार बारिश के कारण यह हिस्सा दलदल में बदल गया है,पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है,बुजुर्ग,महिलाएं और छात्र-छात्राएं सबसे अधिक परेशान हैं, दोपहिया वाहन चालकों को वाहन संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है,ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं और लोगों को धक्का लगाकर उन्हें बाहर निकालना पड़ता है,यह स्थिति केवल असुविधा नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है।

तस्वीरें खोल रही हैं विकास के दावों की पोल- मार्ग की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि सड़क की हालत कितनी खराब है, सड़क पर जगह-जगह बने गहरे गड्ढे,पानी से भरे हिस्से और कीचड़ यह बताने के लिए काफी हैं कि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई,ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क की बदहाली से संबंधित विभाग और प्रशासन पूरी तरह परिचित हैं। कई बार शिकायतें भी की गईं,लेकिन केवल आश्वासन मिले,समाधान नहीं।

आखिर कब जागेगा प्रशासन?- स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है,इसी मार्ग से मरीज अस्पताल जाते हैं,किसान अपनी उपज लेकर बाजार पहुंचते हैं और स्कूली बच्चे शिक्षा के लिए प्रतिदिन सफर करते हैं। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है,ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? यदि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो किसी भी दिन गंभीर दुर्घटना हो सकती है।

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी...

ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र ही सड़क की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे,उनका कहना है कि सड़क की मरम्मत कोई विशेष मांग नहीं बल्कि उनका मूल अधिकार है,बरसात के मौसम में सोनहत-धुम्माडांड मार्ग की यह बदहाल स्थिति न केवल विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है,बल्कि यह भी बता रही है कि समय पर रखरखाव नहीं होने से एक महत्वपूर्ण सड़क किस तरह लोगों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बन सकती है,अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस ओर गंभीरता दिखाता है या फिर लोगों को इसी तरह जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ेगा।

CMYK

रणवीर सिंह की नाक में दम करने को तैयार हैं कार्तिक आर्यन

एक्टर की प्रलय के लिए खड़ी करेंगे बड़ी मुसीबत?

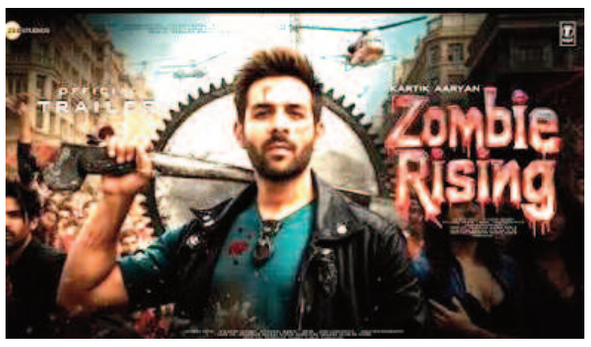

रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता है, लेकिन अब उनकी जॉम्बी थ्रिलर मूवी की राह में कांटे बिछाने की कार्तिक आर्यन ने तैयारी कर ली है।

धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद अब रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर प्रलय लाने की तैयारी में जुट गए हैं। जय मेहता के निर्देशन में बनी यह फिल्म जॉम्बी की कहानी बताई जा रही है। मूवी रणवीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बताई जा रही है।हालांकि,अब रणवीर सिंह की गद्दी हथियाने के लिए कार्तिक आर्यन नजर गढ़ाकर बैठे हैं,जिनके साथ धुरंधर 2 एक्टर की जॉम्बी थ्रिलर फिल्म की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

रणवीर सिंह से पहले कार्तिक आर्यन लेकर आएंगे जॉम्बी थ्रिलर

डेकन क्रोनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ जहां रणवीर सिंह की जॉम्बी थ्रिलर फिल्म को मेकर्स एक बड़े स्केल पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की सेम जॉनर की फिल्म पर ज्यादा तेजी से काम चल रहा है। कार्तिक आर्यन साउथ डायरेक्टर विष्णुवर्धन के साथ एक अनटाइटल फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो अगले महीने फ्लोर पर जा सकती है और मेकर्स इसे 2027 की शुरुआत में रिलीज कर सकते हैं। खास बात यह है कि कार्तिक की फिल्म भी एक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म है।

कब तक खत्म होगी प्रलय की शूटिंग?

एक तरफ जहां कार्तिक आर्यन अगले महीने की शुरुआत में अपनी अनटाइटल फिल्म रिलीज करने की प्लानिंग में हैं, वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह भी अगस्त एंड और सितंबर शुरुआत तक अपनी फिल्म प्रलय की शूटिंग शुरू कर देंगे और उसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क अगले साल खत्म होगा, उसके बाद ही मेकर्स इसे थिएटर्स में रिलीज करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री इनसाइडर की मानें तो, रणवीर सिंह की प्रलय जहां 300 करोड़ के बजट में बन रही है, तो वहीं कार्तिक आर्यन की मूवी पर पानी की तरह पैसा नहीं बहाया गया है। हालांकि, कार्तिक की जॉम्बी थ्रिलर के आने से रणवीर की फिल्म को थोड़ा नुकसान जरूर हो सकता है।

किस नॉवेल पर बेस्ड है प्रलय की कहानी

आपको बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय के साथ दिग्गज डायरेक्टर हंसल मेहता के बेटे जय निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। प्रलय की कहानी पुर्तगाल के नोबल प्राइज विनिंग ऑथर जोस सारामांगो की नॉवेल ब्लाइंडनेस से इंस्पायर है। मूवी में रणवीर सिंह जॉम्बी से लड़ने वाले एक योद्धा के रूप में दिखाई देंगे। जॉम्बी थ्रिलर फिल्मों का क्रेज साउथ कोरिया और हॉलीवुड में काफी ज्यादा रहा है। वहां पर ऐसी फिल्में बनती रही हैं। बॉलीवुड में गो गोवा गोन के काफी समय बाद इस जॉनर को एक्सप्लोर किया जा रहा है।

मैं गाऊंगा ही नहीं... 48 साल पहले अमिताभ बच्चन के पॉपुलर गाने को किशोर दा ने किया था मना

चकाचक शब्द पर थी किशोर दा को आपत्ति...

किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के गाने एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान यूपी लहजे के शब्दों पर आपत्ति जताई थी। किशोर कुमार का नाम हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में गिना जाता है। सिंगर के मस्तमौला और हाजिरजवाबी की वजह से भी उन्हें काफी पसंद किया जाता था। अभिनेता किशोर कुमार को अपनी अजीबोगरीब और मजाकिया हरकतों के लिए आज भी याद किया जाता है।

पत्नी की चप्पल पहनकर पहुंचे थे सिंगर

क्या आपको पता है कि सिंगर एक बार एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए चप्पल के ऊपर मोजे पहनकर पहुंच गए थे। और तो और मजा तो तब आया जब सामने वाले ने ध्यान दिया कि उन्होंने एक चप्पल खुद की और एक अपनी पत्नी की पहन रखी है। चाइना सिल्क की लुंगी और कुर्ते के नीचे किशोर दा ये भेष बनाकर पहुंचे थे।

समीर अंजान ने सुनाया मजेदार किस्सा

चप्पलों के अलावा, वह अपनी आंखों में काजल लगाकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। दरअसल ये किस्सा 1978 का है। मशहूर गीतकार समीर अंजान पहली बार अपने पिता के साथ स्टूडियो पहुंचे थे क्योंकि उन्हें किशोर कुमार को देखना था। सब उनका बेसब्री
से इंतजार कर रहे थे जब अभिनेता ने अपने इस लुक के साथ सभी को चौंका दिया। ऐसे में समीर अंजान उन्हें देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। समीर ने किस्सा खुद कपिल शर्मा के शो पर बताया था।

गाने के शब्दों पर जताई थी आपत्ति

स्टूडियो में जिसे गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी वो था अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन का गाना खईके पान बनारस वाला। स्टूडियो आते ही किशोर दा ने अंजान से कहा,हां बता,क्या लिखवाना है? अंजान जी ने उन्हें गाने का मुखड़ा सुनाया -

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक,
फिर लो पान चबाय
अरे ऐसा झटका लगे जिया पे,
पुनर जनम होइ जाए...

ये सुनते ही किशोर कुमार ने अंजान से कहा कि तू कहा से ऐसे-ऐसे शब्द ढूंढ़कर लाता है। मैंने अपनी जिंदगी में चकाचक शब्द नहीं सुना। मैं ये गाना नहीं गाऊंगा। समीर अंजान के पिता ने कहा कि दादा पहले पूरा गाना लिख लीजिए फिर मैं आपको चकाचक का भी मतलब बता दूंगा और अन्य आने वाले शब्दों का भी। इसके बाद मुख्य लाइन आई- खईके पान बनारस वाला। किशोर दा बोले- खईके क्यों मैं खाके गाऊंगा। तुम कुछ भी कर लो मैं खईके गाऊंगा ही नहीं।

समीर अंजान ने सिंगर को क्या समझाया

बाद में समीर अंजान ने उन्हें समझाया कि इस मूवी में जो कैरेक्टर है वो यूपी का है। अंजान की मातृभाषा भी यूपी कि थी। इस तरह जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने फटाक से इनका प्रयोग कर लिया। अगर आपको इन शब्दों का मतलब और अच्छे से समझना है तो मेरे साथ बनारस की गलियों में खाक छानने चलिए।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण राजेश पाण्डेय आ.स्व. राधे गोविन्द पाण्डेय अन्य 06 निवासी मणीपुर अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 18.10.1996 के आधार पर त्रुटिपूर्ण हुई नामांतरण को सुधार पश्चात् नजूल भूमि प्लॉट नंबर 4171/1 रकबा 1656 वर्गफीट एवं प्लाट नंबर 4849/1 रकबा 785 वर्गफीट के राजस्व प्रपत्रों में विद्यमान त्रुटि को शुद्ध करते हुये उसके अंश रकबा 45 फीट × 53 फीट 04 इंच भूमि को आवेदक क्रमांक 1 से 3 के नाम पर तथा शेष बचत भूमि को आवेदक क्रमांक 4 से 7 के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने हेतु पंजीबद्ध वसीयतनामा विलेख की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 115 छ.ग. भू राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 31/07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक-15/06/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गोपाल अग्रवाल आ.स्व. रामकिशन अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक की माता श्रीमती चमेली अग्रवाल पति स्व. रामकिशन अग्रवाल के द्वारा अनावेदक की पुत्री कमलेश्वरी सिंह आ.स्व. अम्बिका सिंह, निवासी दरींपारा अ0पुर से खसरा नं0 2818/2 रकबा 0.012 हे0 भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1985 के माध्यम से क्रय किया गया है। श्रीमती चमेली अग्रवाल की मृत्यु हो गई है। अतः उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा आवेदित भूखण्ड का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-31/07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 15/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मैं रामकेली खुसरो उर्फ दुजो पिता का नाम शिवलाल पति श्री मोहर सिंह खुसरो, पता ग्राम-बलसेडी, तहसील - अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 की स्थायी निवासी हूँ। मेरे के आधार संख्या 6675 2985 4125 में मेरा नाम रामकेली खुसरो अंकित है। मेरे घर का पुकारू नाम दुजो है और मैं इसी नाम से ज्यादा जानी एवं पहचानी जाति हूँ। मेरा घरेलू नाम दुजो मेरे राजस्व रिकार्ड में भी अंकित हैं। आधार एवं राजस्व रिकार्ड में नाम अलग-अलग होने से मुझे काफी परेशानी हो रही है। वर्तमान समय में उपरोक्त दोनो नाम रामकेली खुसरो और दुजो नाम की एक मात्र महिला मैं ही हूँ। मैं यह घोषणा करती हूँ कि, मेरे आधार कार्ड के नाम रामकेली खुसरो एवं राजस्व रिकार्ड के नाम दुजो को एक साथ में अपने आधार कार्ड संख्या 6675 2985 4125 में रामकेली खुसरो उर्फ दुजो दर्ज किये जाने बावत सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदित किया गया हैं, अगर किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करावे ।

स्थान-अम्बिकापुर
दिनांक - 17/7/2026

भवदीय
रामकेली खुसरो उर्फ दुजो

नाम परिवर्तन सूचना

मैं,आदित्य कुमार राजवाडे आ0 शिवराम राजवाड़े आयु 36 वर्ष, निवासी खालपारा कुनियाकलां, थाना व तहसील दरिमा जिला सरगुजा छ0ग0 उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूं।

यह कि मेरी पुत्री दीपांचल (DIPANCHAL) है। जिसका नाम आधार कार्ड में दर्ज है। जो सत्य एवं सही है मेरी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र हस्तलिखित के द्वारा जारी किया गया है। जिसमे मेरी पुत्री का नाम रौशनी लिखा गया था। जिसे मैं सशोधन कर आधार कार्ड में दर्ज नाम दीपांचल (DIPANCHAL) के अनुरूप दर्ज करवाना चाहता हूं, एवं आनलाईन जन्म प्रमाण प्राप्त करना चाहता हूं, जिसके संबंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता
आदित्य कुमार राजवाडे

नाम परिवर्तन सूचना

मैं,आदित्य कुमार राजवाडे आ0 शिवराम राजवाड़े आयु 36 वर्ष, निवासी खालपारा कुनियाकलां, थाना व तहसील दरिमा जिला सरगुजा छ0ग0 उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूं।

यह कि मेरे पुत्र यश कुमार राजवाड़े (YASH KUMAR RAJWADE) है। जिसका नाम आधार कार्ड में दर्ज है। जो सत्य एवं सही है। मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र का हस्तलिखित के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिसमे मेरे पुत्र का नाम किशन कुमार राजवाड़े लिखा गया था। जिसे मैं सशोधन कर आधार कार्ड में दर्ज नाम यश कुमार राजवाड़े (YASH KUMAR RAJWADE) के अनुरूप दर्ज करवाना चाहता हूं एवं आनलाईन प्रमाण प्राप्त करना चाहता हूं, जिसके संबंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत है।

शपथग्रहिता
आदित्य कुमार राजवाडे

कार्यालय कार्यपालन अभियंता,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सूरजपुर जिला- सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

Phone :- 07775-266048 E-Mail ID : ee-res.surajpur@gov.in

निविदा आमंत्रण सूचना द्वितीय बार

सूरजपुर दिनाँक 15.07.2026 क्रमांक/1033/वलेलि/ग्रा.या. से./2026-27

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत 'डी' एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत विद्युत ठेकेदारों से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र	कार्य का विवरणं	अनुमानित लागत (रूपए लाख में)	निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	निविदा लिफाफा करने की पहुंचने अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
	Zonal Electric tender under Janpad Panchayat Premnagar Distt- Surajpur (C.G.)	20.00 लाख	21-07-2026	22-07-2026

उपरोक्त निर्माण कार्य की निविदा की सामान्य शर्तें,धरोहर राशि,विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेजव अन्य जानकारी दिनांक 15.07.2026 से कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर एवं विभागीय वेबसाईड http/cg.nic.in/resworks प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
संभाग सूरजपुर,जिला- सूरजपुर

जी0नं0 : 262702159

कार्यालय कलेक्टर,जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

बलरामपुर दिनांक 05/06/2026

क्रमांक / 3662/अ-82 / 2024-25- चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की जल संसाधन संभाग बलरामपुर अन्तर्गत बेलनाला व्यपवर्तन योजना सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

कुल भूमि का वर्णन :-
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम - जिगनिया, लेकुआटोली, जिरहुल, मोतीनगर, करकली पश्चिम
4. प0ह0नं0 - 03, 04
5. भूमि का क्षेत्रफल - 15.825 हे0

ग्रामवार भूमि का वर्णन :-
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम - जिगनिया
4. प00नं0- -03
5. भूमि का क्षेत्रफल - 3.326 हे0

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
1468/1	0.525
1497	0.445
1475/3	0.323
1509/2	0.448
1540/2	0.089
1491	0.154
1602	0.117
1600	0.093
1540/1	0.089
1538	0.065
1539	0.109
1537	0.061
1541	0.421
2068	0.089
2069/2	0.202
1518/2	0.096
योग- 16	3.326

ग्रामवार भूमि का वर्णन -
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज 2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम- लेफुआटोली
4.प0ह0नं0-03
5. भूमि का क्षेत्रफल -2.005

291/1	0.044
346	0.008
291/2	0.044
293/1	0.040
297/1	0.028
369	0.028
294	0.020
298/1	0.061
344/1	0.012
345	0.089
347	0.012
348/1	0.024
349/1	0.020
348/2	0.024
349/2	0.020
350/1	0.064
351	0.012
476/1	0.061
368/1	0.012
368/2	0.012
462/1	0.040
434/1	0.044
434/2	0.044
440/4	0.064
435/1	0.096
458/1	0.032
459/1	0.065
461/1	0.012
435/2	0.024
436/1	0.081
451/1	0.101
454/1	0.040
455	0.101
456/1	0.032
457/1	0.064
463	0.020
464/1	0.061
440/2	0.064
441	0.048
448/1	0.128
452/1	0.008
446	0.041
465/1	0.016
465/2	0.016
465/3	0.016
465/4	0.016
465/5	0.016
443/1	0.040
563	0.040
योग- 49	2.005

ग्रामवार भूमि का वर्णन -
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम- जिरहुल
4.प0ह0नं0-03
5. भूमि का क्षेत्रफल -2.462

169/1	0.008
210	0.085
211	0.057
214	0.041
217	0.089
220	0.081
221	0.008
222/1	0.048
205/1	0.036
205/2	0.036
170/1	0.081
202/1	0.040
201/1	0.041
270/1	0.028
201/2	0.041
202/2	0.024
166	0.032
268/1	0.101
281/1	0.121
163/2	0.048
281/2	0.121
227/1	0.057
227/3	0.008
229/2	0.024
227/2	0.008
218/2	0.016
251/1	0.028
282/1	0.202
282/2	0.268
168	0.049
162/2	0.033
164/1	0.036
160/3	0.081
160/2	0.101
270/2	0.028
160/1	0.101
162/1	0.032
163/1	0.049
167	0.032
201/3	0.041
202/3	0.041
270/3	0.032
251/2	0.028
योग- 43	2.462

ग्रामवार भूमि का वर्णन -
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम-मोतीनगर
4.प0ह0नं0-03
5. भूमि का क्षेत्रफल -3.698

462	0.132
534/2	0.088
438/1	0.162
440	0.144
437/1	0.012
441/1	0.057
437/2	0.008
441/2	0.061
442	0.065
408/1	0.121
443	0.072
444	0.008
445/2	0.162
445/1	0.162
446/1	0.202
446/2	0.162
417/1	0.096
407/3	0.008
417/2	0.097
399/3	0.105
418/2	0.202
420/1	0.040
533/1	0.081
397/1	0.105
347/1	0.129
347/2	0.081
349	0.121
350/2	0.202
411/1	0.048
412/1	0.008
413/1	0.072
611/1	0.020
514/3	0.081
514/4	0.008
531/1	0.162
532	0.012
345/2	0.041
533/4	0.012
538	0.168
413/2	0.056
610/2	0.036
413/611/2	0.008
409/1	0.081
योग- 43	3.698

ग्रामवार भूमि का वर्णन :-
1. जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
2. तहसील - कुसमी
3. ग्राम- करकली पश्चिम
4.प0ह0नं0-04
5. भूमि का क्षेत्रफल -4.334

1	0.210
3	0.024
752	0.105
4/17	0.028
176/9	0.081
31	0.202
11/2	0.113
197	0.211
11/1	0.113
27//1	0.105
29/1	0.008
32	0.032
45	0.113
46	0.024
5/2	0.121
195	0.024
15/1	0.049
16	0.032
21	0.162
24/1	0.053
176/11	0.081
18	0.024
8/2	0.162
13/1	0.024
176/13	0.241
47/2	0.069
47/1	0.069
24/2	0.052
20	0.008
19	0.160
25	0.057
30	0.202
176/3	0.081
12/1	0.133
12/2	0.133
15/2	0.024
26	0.041
177/3	0.065
47/3	0.008
8/3	0.081
8/1	0.040
8/4	0.041
196	0.162
200/2	0.054
200/3	0.054
200/4	0.054
10	0.202
176/12	0.202
योग- 48	4.334
महायोग- 199	15.825

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नही है ।

उक्त योजना के लिये अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित शुन्य व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है । पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम जिगनिया, लेफुआटोली, जिरहुल, मोतीनगर, करकली पश्चिम तहसील कुसमी जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज की भूमि खसरा नम्बर- निरंक रकबा निरंक हे0 का चयन किया गया है। पुनर्वास योजना का अवलोकन प्रशासक / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अनमोल विवेक टोप्पो
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
एवं भू-अर्जन अधिकारी,
कुसमी

श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी
कलेक्टर
जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग राजस्व

CMYK

विधानसभा मानसून सत्र : अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा...

नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा...ये आम जनता का है आरोप,हर हफ्ते एक पाप,एक धोखा,एक नाकामी

136 आरोपों के बीच विधानसभा में सियासी ड्रामा,अजय चंद्राकर का बड़ा हमला

रायपुर,17 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र शुक्रवार को साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने 136 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश करते हुए कहा कि ये सिर्फ मेरा आरोप, ये आम जनता का आरोप है। साय सरकार को अब तक 136 हफ्ते हो गए हैं. ये अविश्वास प्रस्ताव किसान,महिलाओं,युवाओं के खिलाफ रचे गए हर हफ्ते के षड्यंत्र का दस्तावेज है। हर हफ्ते का एक पाप,हर हफ्ते का एक धोखा,हर हफ्ते की नाकामी का पूरा दस्तावेज पेश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि 1963 में जब आचार्य जेपी कृपलानी ने नेहरू सरकार के विरुद्ध लोकसभा में पेश किया था,तब खुद नेहरू जी ने उसका स्वागत करते हुए कहा था कि सरकार के खिलाफ़ लोकतंत्र में ऐसी बहस होती रहे। ये अच्छी परम्परा है। 1979 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये आभाष हुआ कि सदन में उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही त्यागपत्र देना स्वीकार कर लिया। संत पवन दीवान ने लिखा है कि चुप-चुप रहकर सब कुछ सहकर सबका मान बढ़ाते हैं, बार-बार अपमानित होकर ग़ैरों का गुणगान करते हैं, मेहमानों को खूब खिलाकर चुपचाप सो जाते हैं, इसलिए ही छत्तीसगढ़िया परबुधिया कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ में सब कुछ है लेकिन कमी है स्वाभिमान की। मुझसे सही नहीं जाती ऐसी चुप्पी वर्तमान की। मंत्री ओपी चौधरी और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ के लोगों को परबुधिया कहने पर आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा,ये मेरा लिखा नहीं है। ये संत पवन दीवान की लिखी कविता है। मंत्री ओपी चौधरी के नाम का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप कब पैदा हुए मुझे नहीं पता,लेकिन 'छत्तीसगढिया सबले बढ़िया' मेरे पिता का दिया नारा था। हम छत्तीसगढ़ की मूल भावना चरित्र को रख रहे हैं, उसमें भी लोगों को तकलीफ हो रही है।

बलौदाबाजार की घटना की अब तक जांच नहीं...

डॉ. महंत ने कहा कि गुरु बाबा घासीदास जी को जहां ज्ञान मिला वहाँ के जैतस्तंभ को किसी दुष्ट व्यक्ति ने काट दिया। सतनामी समाज ने चेतावनी दी थी कि इसका प्रतिकार उग्र हो जाएगा। तब भी वहां के कलेक्टर-एसपी ने कुछ नहीं किया। देश के इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना थी। इसकी आंच हमारी मान्यताओं पर, हमारे धर्म तक पहुंची। इस घटना ने समाज को उद्वेलित कर दिया। क्या हुआ इस घटना का? इतने दिनों तक इसकी जाँच नहीं हो पाई।

पिछली सरकार में कर दिया सबलेट

अजय चंद्राकर ने कहा कि सदन में ही पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने सीना ठोककर कहा था कि मैं बोधघाट परियोजना शुरू करके रहूँगा। 12 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। मूँछों में ताव दिया गया था। क्या हुआ? रबी फसल को समर्थन मूल्य पर लेने की बात कही गई थी, लेकिन क्या हुआ? पिछली सरकार में सबलेट कर दिया गया। दारू आप देखो। राशन आप देखो? कोयला आप देखो? साय सरकार आते ही पीएससी घोटाले की जांच का निर्णय लिया गया था। पिछली सरकार में एक ही कमरे से 35 लोगों की भर्ती हो गई थी।

अहंकार में डूबी सरकार : कोरिया जिले में 29 वर्षीय महिला का बलात्कार कर उसे ज़िंदा जला दिया गया। थाने पहुंचे एक फरियादी को पीट-पीट कर मार डाला गया। राखी के दिन मुख्यमंत्री के क्षेत्र में एक बहन का रेप कर मार दिया। इसे जंगलराज ना कहूँ, तो क्या कहूँ। मुख्यमंत्री,मंत्रिमंडल,प्रशासनिक अधिकारी एक भी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहंकार में डूबी सरकार है। पंचायत,मनरेगा में चल रहे पिछले सरकार के कार्यकाल के काम तक को रोक दिया गया। जनहित के नाम पर सरकार सिर्फ अपनी जेब भर रही है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा...मोहसिन किदवई की लड़की की इवेंट कंपनी को चंद्रखुरी में साढे पाँच करोड़ रुपए का काम दे दिया गया। कुल 28 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए।

ऐसा विपक्ष किस काम का जो सिर्फ औपचारिकता पूरी करे : चंद्राकर

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर सत्तापक्ष कि ओर से जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष वाचडॉग होता है, लेकिन ऐसा विपक्ष किस काम जिसने सिर्फ औपचारिकता पूरी कर दी। भूपेश बघेल मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहे वो जानते होंगे कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव की पोंगरी बनाकर उचित जगह पर डाल लीजिए। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। इतिहास में हम गजनवी, तैमूर, अब्दाली को पढ़ते हैं,लेकिन नादिर शाह के समय दिल्ली में सबसे ज्यादा लूट हुई। पिछली सरकार नादिर शाह की तरह ही थी। नेता प्रतिपक्ष ये बताए कि उनकी निष्ठा राज्य के प्रति है या किसी एक परिवार की। कांग्रेस के दो इतिहास लिखे गए हैं। एक आजादी के पहले और एक बाद। जो फ़्लेटर होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता। एक सज्जन थे जो कहते थे कि इदिरा इस इंडिया,इंडिया इस इंदिरा और एक नेता प्रतिपक्ष है जिन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी के कहने पर झाड़ू भी लगा सकते हैं। अजय चंद्राकर ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत से पूछा कि धुरंधर देखी है आपने। उस फ़िल्म में जमील जमाली की एक विशेषज्ञता थी कि वह हर किसी का आदमी था। आपने अंबिकापुर में बयान दिया था कि इस बार टीएस सिंहदेव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन रायपुर में भूपेश बघेल के बयान के बाद आपने अपना पाला बदल लिया।

तीन साल फरार था कांग्रेस का कोषाध्यक्ष

अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है,जिसका कोषाध्यक्ष तीन साल से फ़रार था। बगैर कोषाध्यक्ष पार्टी चलती है? पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में आज तक ऐसा उदाहरण आया हो कि उसका कोषाध्यक्ष लापता है। आईना बेचने वालों को थोड़ा आईना दिखाता हूँ। छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया। 76 फीसदी कुल आरक्षण का बिल लाया गया। विधानसभा में इसे पारित किया गया। एक संकल्प आया कि नौंवी सूची में इसे जोड़ा जाए। हमारे पाले में गेंद डालने की कोशिश की गई। केंद्र सरकार पर डाल दिया।

महतारी वंदन योजना पर सदन में घमासान,लाखों महिलाओं का मुद्दा उठा,विपक्ष ने किया वॉकआउट

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को महतारी वंदन योजना को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पहली किस्त के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम योजना से हटाए जाने और कई हितग्राहियों को अब तक लाभ नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान उमेश पटेल ने सरकार से पूछा कि पहली किस्त मिलने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम योजना से क्यों काटे गए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि अपात्र घोषित किए जाने के बावजूद करीब एक लाख महिलाओं को योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा और बंद पोर्टल दोबारा कब खोला जाएगा। जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि 1 लाख 55 हजार 655 हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होने के कारण भुगतान लंबित है। इसके अलावा मृत, आयकरदाता, शासकीय सेवकों के परिवारों सहित निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपात्र पाए गए हितग्राहियों के नाम भी सूची से हटाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि लगभग एक लाख महिलाओं की राशि केवल ई-केवाईसी पूरी नहीं होने के कारण रुकी हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि विष्णु का सुशासन है, जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने बेहद कम समय में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर केवल दो माह के भीतर इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया था। हालांकि मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर हितग्राहियों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए सदन में नारेबाजी की और विरोधस्वरूप वॉकआउट कर दिया।

बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को छत्तीसगढ़ सौंपकर मुक्त होना चाहते हैं...

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के मॉडल को बनाने वाले तो मुंबई से थे। राज्य की जनता को कृषि पर आधारित है,उसे तीसरे नम्बर पर रख दिया। उद्योगों को बढ़ावा दिया। सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया। पिछले ढाई साल में जो काम सरकार ने किया है यह किसानी को खत्म करने की है। ये सब सोची समझी राजनीति है। बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को छत्तीसगढ़ सौंपकर मुक्त होना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं, लेकिन पेसा क़ानून की राज्य में क्या हालत है? किस तरह आदिवासी इलाक़ों में इसका हाल हुआ है? खदान वाले इलाक़ों से आदिवासी भगाए जा रहे हैं।

भारतमाला परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण भूपेश सरकार में हुआ

चंद्राकर ने कहा कि- भारतमाला परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण भूपेश सरकार में हुआ था। एक भी जमीन का अधिग्रहण साय सरकार में नहीं हुआ है। ईडी की कार्यवाही का जिक्र भूपेश बघेल ने किया था। मेरे ख़िलाफ़ एक भी नामजद आरोप नहीं है। पिछली सरकार ने सेस लगाया था. तीन हज़ार करोड़ से ज़्यादा का सेस मिला था। स्वास्थ्य के लिए उपयोग होना था। कोरोना का ज़िक्र किया गया था। कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि शराब की घर पहुँच शुरू की गई थी, उसमें भी पैसा खा लिया। किसी को नहीं छोड़ा गया था।

नाम जोड़ने पोर्टल खोलने की मांग

कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछ कि महतारी वंदन जब से शुरू हुआ है तब से यह पोर्टल बंद है और जो नए लोग हैं उनका नाम कब जोड़ा जाएगा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, पोर्टल कब खुलेगा इसकी चिंता कांग्रेस के लोग ना करें। मंत्री के जवाब के बाद सदन में विपक्ष की नारेबाजी। महिलाओं के साथ अन्याय करना बंद करों के नारे लगा रहे विपक्ष के विधायक कांग्रेस पार्टी ने किया सदन का बहिगर्मन कर दिया।

बिलासपुर बारिश से बेहाल...कॉलोनियां बनीं तालाब,ऑक्सीजन लेकर नाव से पहुंची

बिलासपुर,17 जुलाई 2026। बिलासपुर में रातभर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। तेज बारिश के कारण कई कॉलोनियां और निचले इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ, वहीं कई घरों में पानी घुसने से लोगों को पूरी रात जागकर हालात से जूझना पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में मंगला का जेपी विहार, गंगानगर, शुभम विहार, सरकंडा का शक्ति विहार,विजयपुरम कॉलोनी और जगदंबा कॉलोनी शामिल हैं। कई स्थानों पर कारें और दोपहिया वाहन पानी में डूब गए, जबकि बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। स्थानीय नागरिकों ने जलभराव के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठाए। जलभराव के बीच ऑक्सीजन लेकर नाव से पहुंची स्थ्रक्म्न बारिश के बीच जगदंबा कॉलोनी में एक मानवीय और चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई। जलभराव के कारण चारों ओर से

घिरी कॉलोनी में रहने वाली सुलोचना हट्टी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। सड़क संपर्क पूरी तरह बंद होने से एंबुलेंस मौके तक नहीं पहुंच सकी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और नगर निगम की संयुक्त टीम ने राहत अभियान शुरू किया। टीम नाव के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर महिला के घर पहुंची और समय रहते उन्हें राहत उपलब्ध कराई। नगर निगम और एसडीआरएफ की टीमें जलभराव वाले इलाकों में लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के साथ-साथ आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन या नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। बिलासपुर में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। एनएच-49 पर रायगढ़-बिलासपुर-रायपुर मार्ग में सड़क के ऊपर से तेज बहाव में पानी बह रहा है, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल और एक कार भी पानी के तेज बहाव में बह गई।

अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सरकार ने 'किंगपिन' बताया था,सबूत पेश नहीं कर सके,हाईकोर्ट का आदेश रद्द

रायपुर,17 जुलाई 2026। बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सुप्रीमो अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके साथ सह-आरोपी अजय यादव और दिनेश वर्मा को भी राहत मिली है। इससे पहले सिंधी समाज के आराध्य के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मामले में भी अमित बघेल को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ एक अहम शर्त भी लगाई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अमित बघेल अगले 3 महीने तक रायपुर जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्हें इस अवधि तक जिले से बाहर रहना होगा। राज्य सरकार ने अमित बघेल को बलौदाबाजार हिंसा का 'किंगपिन' (मुख्य साजिशकर्ता) बताया था। इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चार्जशीट पेश की जा चुकी है। आखिर कब तक जेल में रखेंगे।

'किंगपिन' होने के आरोप पर कोर्ट की टिप्पणी : बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि, राज्य सरकार ने अमित बघेल को हिंसा का किंगपिन' (मुख्य साजिशकर्ता) बताया था। आरोप लगाया था कि पूरी घटना

हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीबी सुरेश और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की। बचाव पक्ष के अनुसार,सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि,इस मामले के अन्य आरोपी करीब 7 महीने से जेल में हैं,जबकि अमित बघेल के हिरासत का समय अपेक्षाकृत कम है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिरासत की अवधि कम होना जमानत खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने इस आधार को स्वीकार नहीं किया और हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।

उनके इशारे पर हुई। हालांकि, इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए जा सके। बचाव पक्ष के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच से जुड़े सभी दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। ऐसे में आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं है।

कोर्ट ने पूछा-आखिर कब तक जेल में रखेंगे? अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच पूरी हो चुकी है, तो आखिर आरोपी को कब तक जेल में रखेंगे? इसी आधार पर तीनों आरोपियों को जमानत देने का फैसला किया गया।

दो महीने पहले हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत

करीब 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित बघेल,अजय यादव और दिनेश वर्मा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। जस्टिस एन.के. व्यास की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरोपियों ने 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ को उकसाया, जिसके चलते 13 से 14 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों पर जानलेवा हमला किया गया और समाज में कानून-व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया। ऐसे मामलों में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की बढ़ी रिमांड

रायपुर,17 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला और शराब घोटाला मामलों में गिरफ्तार कांग्रेस के दिग्गज नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायपुर की विशेष अदालत ने उनकी पुलिस रिमांड की अवधि को 5 दिन के लिए

और आगे बढ़ा दिया है। इस नए न्यायिक आदेश के बाद अब कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष 22 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की हिरासत में रहेंगे। जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू ने घोटालों की गहराई से जांच के लिए अदालत से 5 दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जांच एजेंसी की इस मांग को स्वीकार कर लिया। इससे पहले रामगोपाल अग्रवाल पिछले 9 दिनों से लगातार ईओडब्ल्यू की पुलिस रिमांड पर चल रहे थे। इसी पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया। ईओडब्ल्यू ने पहले से चल रहे कोयला घोटाले के साथ-साथ उन्हें शराब घोटाला मामले में भी आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। यही वजह है कि दोनों घोटालों के तार एक-दूसरे से जुड़े होने के कारण पूछताछ का दायरा बढ़ गया है। जांच एजेंसी को दोनों मामलों में वित्तीय लेनदेन के पुख्ता सबूतों को आपस में मिलाना है। इसके लिए आरोपी का आमना-सामना अन्य सह-आरोपियों से कराना बेहद जरूरी हो गया था। बता दे कि रामगोपाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। उन पर पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए करोड़ों रुपये के कोयला परिवहन और अवैध शराब वितरण में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं।

छत्तीसगढ़ : स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा पर सख्ती,छुट्टी से पहले हर कक्षा और शौचालय की होगी अनिवार्य जांच

रायपुर,17 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने नए सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी स्कूल में छुट्टी के बाद ताला लगाने से पहले पूरे परिसर का निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था छात्रों के स्कूल परिसर में छूट जाने या किसी दुर्घटना की आशंका को रोकने के उद्देश्य से लागू की गई है। जारी निर्देशों के अनुसार,स्कूल के प्रधानाचार्य या संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय बंद होने से पहले सभी कक्षाओं,शौचालयों, प्रयोगशालाओं और खेल मैदान का पूरी तरह निरीक्षण किया जाए। जब तक यह पुष्टि नहीं हो जाती कि परिसर में कोई छात्र मौजूद नहीं है, तब

तक किसी भी कमरे या मुख्य गेट पर ताला नहीं लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन रोटेशन के आधार पर एक नोडल शिक्षक या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। संबंधित कर्मचारी छुट्टी के समय पूरे परिसर का निरीक्षण करेगा और विद्यालय को सुरक्षित रूप से बंद कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह रहेगा। विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के समय मुख्य प्रवेश द्वार पर शिक्षकों की मौजूदगी भी अनिवार्य की गई है। उनका दायित्व रहेगा कि भीड़ को नियंत्रित करें और सभी छात्र-छात्राओं का सुरक्षित निकास सुनिश्चित करें। बारिश के मौसम को देखते हुए संचालनालय ने स्कूल परिसरों में संभावित खतरों को तत्काल दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। खुले बोरवेल और गड्ढों को तत्काल बंद कराने, जलभराव रोकने तथा गीली दीवारों के कारण जोखिम पैदा करने वाले खुले बिजली के तारों की जांच कर उन्हें दुरुस्त कराने को कहा गया है।

कोटवार खुद को जिंदा बताने हाईकोर्ट पहुंचा,न्याय की आस

बिलासपुर,17 जुलाई 2026। सरकारी तंत्र की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिस व्यक्ति के जीवित होने के पर्याप्त सबूत थे और जो खुद अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, उसे सरकारी रिकार्ड में मृत घोषित कर नौकरी से हटा दिया गया था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने कमिश्नर के आदेश को निरस्त करते हुए न सिर्फ कर्मचारी को राहत दी, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। जशपुर जिले के मनोरा तहसील स्थित ग्राम गजमा निवासी मरियानुस एक्का

ग्राम पंचायत में कोटवार के पद पर कार्यरत थे। इस नियुक्ति को लेकर सुबोध कुमार तिर्की ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी थी। अनुविभागीय अधिकारी ने मामले को खारिज कर दिया, लेकिन मामला सरगुजा कमिश्नर के न्यायालय में अपील के रूप में पहुंचा। 18 जून 2018 को कमिश्नर ने एक ऐसा आदेश पारित किया, जिसने सबको चौंका दिया। कमिश्नर ने याचिका को स्वीकार करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता मरियानुस एक्का अब इस दुनिया में नहीं हैं,लिहाजा उनकी नियुक्ति निरस्त की जाती है।

नकटी तोड़-फोड़ मामला : कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेन डेका से की न्याय की मांग...

रायपुर,17 जुलाई 2026। राजधानी रायपुर के ग्राम नकटी में हुई तोड़-फोड़ की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे व पुनर्वास की मांग की है। माना क्षेत्र के ग्राम नकटी में हुई इस कार्रवाई से 85 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं, जिनमें से कई के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवास भी थे। यह मामला न केवल कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है, बल्कि प्रभावित परिवारों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा है, जो प्रदेश में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल रमेन डेका को सौंपे ज्ञापन में बताया कि 29-30 जून 2026 को रायपुर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने ग्राम नकटी (सम्मानपुर) में मनमानीपूर्ण बेदखली और विध्वंस की कार्यवाही की।

प्रतिनिधिमंडल ने इसे संविधान और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, अनिता शर्मा, कुलदीप जुनेजा और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला समेत कई नेताओं ने मांग की है कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो। राज्यपाल रमेन डेका ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वे इस संवेदनशील मामले में मुख्यमंत्री और सरकार से चर्चा कर न्याय सुनिश्चित करेंगे।

राज्यपाल के आश्वासन के बाद अब राज्य सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)